भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/10/2022-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 28.08.2023

अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना

ओआई मामला सं. - 10/2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. यत: सेफ्टी/स्पेशिलिटी ग्लास प्रोसेसर की एक एसोसिएशन दि फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) (जिसे आगे 'आवेदक एसोसिएशन' भी कहा गया है) ने अधिनियम तथा नियमावली के अनुसार मैसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मैसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज (जिन्हें आगे 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे 'संबद्ध देश' देश कहा गया है) से "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच

की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत: प्राधिकारी ने आवेदक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रथदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022, अधिसूचना सं. 6/10/2022-डीजीटीआर के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि उक्त संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाये तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरुआत की कार्यवाही से पहले वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात आयातकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भेजी थी और उनसे विहित समय-सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया था।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध

कराई थी। आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित की गई थी।

ङ. भारत में संबद्ध दूतावास से उनके देश में उत्पादकों/निर्यातकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पदों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध देश से निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें अपने अनुरोध से अवगत कराने का अवसर दिया था।

i.	आर्कटुरस ग्लोबल सोर्सिंग एचके कंपनी लिमिटेड;
ii.	अरदा (झेजियांग) इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड;
iii.	चांगझोऊ फारेन ट्रेड कारपोरेशन;
iv.	सिक्सी ईस्ट ग्लास कंपनी लिमिटेड;
v.	फिन्का इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड;
vi.	ब्रैंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड;
vii.	गुआंगडोंग गैलान्ज़ माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिकल एपलायंस कंपनी लिमिटेड
viii.	गुआंगडोंग नारदी इलेक एपलायंस कंपनी लिमिटेड
ix.	गुआंग्डोंग नारदी इलेक्ट्रिकल अपलायंस कंपनी लिमिटेड
x.	आईमार्केट चाइना कंपनी लिमिटेड
xi.	काइजिन एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड
xii.	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, चीन
xiii.	एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स टियांजिन एप्लायंसेज
xiv.	फ़ोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड

xv.	नारदी ग्रुप लिमिटेड
xvi.	न्यूटाइम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
xvii.	निंगबो आर्कटुरस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xviii.	निंगबो हाईटियन होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड
xix.	ओमिका इंडस्ट्रियल लिमिटेड
xx.	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एच.के. कंपनी लिमिटेड
xxi.	शेन्ज़ेन होमी इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन
xxii.	शिपर चाइना बेस्ट होम एप्लायंस कंपनी लिमिटेड
xxiii.	शुंडे नेटिव प्रोड्यूस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
xxiv.	सनटाइम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग लिमिटेड
xxv.	विनटाइम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
xxvi.	झांगजीयागांग कियानचेन एप्लायंस कंपनी
xxvii.	झोंगशान क्यूरिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड
xxviii.	झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
xxix.	झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड,
xxx.	झोंगशान फूडस्टफ्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
xxxi.	झोंगशान पुस्डेरी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xxxii.	झोंगशान साची एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड
xxxiii.	झोंगशान सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड
xxxiv.	झोंगशान तियानमेई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड

छ. संबद्ध जांच की जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देते हुए जवाब दिया है:

i.	फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
ii.	फ़ोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड
iii.	हाल्टेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
iv.	झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री
v.	फ़ोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड
vi.	डिंपल एचके लिमिटेड
vii.	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड
viii.	फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
ix.	झोंगशान कुकिनार्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड
x.	झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड
xi.	झांगजीयागांग वीयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
xii.	वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड
xiii.	जियांगयिन सिटी हैंग फेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड
xiv.	स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड
xv.	बेनक्सी चेंगसिन चेंगसिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड
xvi.	लियानयुंगांग चेंगसिन ग्लास प्रोडक्ट कं, लिमिटेड
xvii.	पिंगहु चेंगसिन ग्लास कंपनी लिमिटेड
xviii.	जिआंगसु शिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड
xix.	जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड
xx.	झांगजीयागांग कियानचेन एप्लायंस कंपनी
xxi.	झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड
xxii.	झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी।

i.	ए आर इंटरप्राइजेज
ii.	ए.के. इंडस्ट्रीज
iii.	एडीएम सोलर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
iv.	एजीएल इंडिया
v.	एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड
vi.	एएमजे इंटरप्राइजेज
vii.	अंकुर ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड
viii.	अविनाश इंडस्ट्रीज
ix.	यूरो होम एप्लायंस
x.	गैस एप्लायंस स्पेयर
xi.	ग्लेन एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
xii.	गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
xiii.	ग्रीनशेफ एप्लायंसेज लिमिटेड
xiv.	जे.डी. इंजीनियरिंग
xv.	मल्टीप्लेक्स एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
xvi.	निमोरो ग्रुप
xvii.	श्री बालाजी स्टील्स
xviii.	सुपर एलपीजी एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड

झ. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी प्रश्नावली का उत्तर दिया है:

i. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ii. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड
iii. ग्लेन एप्लायंसेज प्रा. लिमिटेड
iv. व्हर्लपूल ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड

ञ. प्राधिकारी ने ऊपर यथाउल्लिखित घरेलू उत्पादकों, ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं को आर्थिक हित संबंधी प्रश्नावली भी भेजी थी। निम्नलिखित पक्षकारों ने उक्त प्रश्नावली का उत्तर दिया।

i. फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास
ii. एससीएचओटीटी ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं., लिमिटेड
iii. जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड
iv. जियानगिन सुइफैंग ग्लास कंपनी लिमिटेड
v. सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
vi. ग्लेन एप्लायंसेज प्रा. लिमिटेड

ट. इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) को उक्त प्रश्नावली के अनुसार सूचना देने के लिए आर्थिक हित प्रश्नावली भेजी थी ताकि यदि चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्ग मीटन या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाये तो प्रयोक्ता उद्योग पर उसके प्रभाव की मात्रा का आकलन किया जा सके।

ठ. डीपीआईआईटी ने आगे इस मामले को टिप्पणी हेतु उद्योग के हितार्थियों को भेजा था। तदनुसार, सेंट-गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) से टिप्पणियां प्राप्त हुई थी।

ड. इसके अलावा, निम्निलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

i. चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)

ii. वुहान ग्लासिक्स ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड

iii. हाई होप झोंगडिंग कॉर्पोरेशन

ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल है।

ण. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और डीजी-सिस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। सौदों की आवश्यक जांच और अपेक्षित विश्लेषण के बाद डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर विनिर्दिष्ट निर्यातक से निर्यातों की मात्रा के सह संबंध में आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए और प्रस्तुत उत्तरों की व्यवहार्य सीमा तक वैधता के लिए भरोसा किया गया है।

त. हितबद्ध पक्षकारों के साथ 23.11.2022 को एक चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने संबद्ध जांच में पीयूसी के दायरे और पीसीएन की जरूरत संबंधी टिप्पणियां की हैं। की गई चर्चा और उसके बाद प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी ने 13.12.2022 को संबद्ध जांच में अपनाए जाने वाले पीसीएन मापदंडों को अधिसूचित किया।

थ. आवेदक से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनाथ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।

द. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया गया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची को डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड किया गया था कि वे अन्य सभ हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल को भौतिक रूप में रखना संभव नहीं था।

ध. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार भारत ने संबद्ध वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। ऐसी क्षतिरहित कीमत पर यह पता लगाने के लिए विचार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

न. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 31.01.2023 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार रखने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने तथा बाद में खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

प. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों दिये गये तर्कों और जांच की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की सीमा तक और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने पर प्राधिकारी द्वारा उस अंतिम जांच परिणाम में उचित ढंग से विचार किया गया है।

फ. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ऐसी सूचना की सत्यतता से स्वयं को संतुष्ट किया है जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का संभव सीमा तथा उनकी संगतता के अनुसार सत्यापन किया है।

ब. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश भी दिया गया था।

भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम दर्ज किये हैं।

म. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों का 27 जून, 2023 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने पर इन अंतिम जांच परिणामों में स्थान दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन के बाद किये गये अधिकांश अनुरोध पहले के अनुरोधों का केवल दोहराव हैं। तथापि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की संगत समझी गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में जांच की गई है।

य. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 75.34 रूपये है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पादन और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" हैं। पीयूसी को टैम्पर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैस रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर है।"

ग.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान जांच में पीयूसी की परिभाषा मौलिक रूप से गलत है। वर्तमान जांच में पीयूसी को अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित किया है जिससे काफी भ्रम उत्पन्न हो गया है। वर्तमान जांच में अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित पीयूसी के साथ समान वस्तु के प्रावधानों का दुरूपयोग हुआ है।

ख. सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास भारत में आयातित पीयूसी पर शुल्क लगाने के लिए टफएंड ग्लास के अंतिम प्रयोग को मापने या जांच करने का कोई साधन या मापदंड नहीं है। आयातित उत्पाद पीयूसी है अथवा नहीं, इसकी जांच केवल रासायनिक/तकनीकी मापदंडों के आधार पर की जा सकती है। परंतु यह अंतिम प्रयोग के लिए संभव नहीं है।

ग. चूंकि अंतिम प्रयोग उत्पाद का तकनीकी मापदंड नहीं है। इसलिए उसे बिक्री बीजक में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, परंतु केवल चूंकि मापदंड शामिल किये गये हैं।

घ. घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त 0.4 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के टफएंड ग्लास, घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त 8 एमएम से अधिक मोटाई के टफएंड ग्लास और 0.4 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल और घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त 1.8 एमएम तथा 8 एमएम के बीच मोटाई वाले टफएंड ग्लास भी समान वस्तु है और उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता है।

ड. घरेलू तथा आयातित पीयूसी की गुणवत्ता में भारी अंतर है।

च. टॉप लोड वाशिंग मशीनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास दो प्रकार के होते हैं अर्थात फ्लैट टफएंड ग्लास और कर्वड तथा रंगीन ग्लास। एलजी इंडिया वाशिंग मशीन डोर लिड के निर्माण के लिए 4 एमएम मोटाई के रंगीन कर्वड टफएंड ग्लास का प्रयोग करता है। यह कर्वड टफएंड ग्लास आयातित होता है क्योंकि एलजी इंडिया द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार घरेलू उद्योग उसकी आपूति करने में असमर्थ है। चूंकि टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादक कर्वड टफएंड ग्लास की एलजी इंडिया की जरूरतों को पूरा

करने में असमर्थ हैं। इसलिए प्राधिकारी को "कर्वड टफएंड ग्लास" को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

छ. भारत में टफएंड ग्लास के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में 2 एमएम और 3.2 एमएम फ्लोट ग्लास अनुपलब्ध है क्यों फ्लोट ग्लास के भारतीय उत्पादक मांग-आपूर्ति की बाधाओं के कारण 2 एमएम और 3.2 एमएम के विनिर्माण और आपूर्ति में रूचि नहीं लेते हैं। हेल्दी इंडिया ने [***] और [***] से भारत में इससे कम मोटाई के टफएंड ग्लास खरीदने का प्रयास किया है, परंतु घरेलू उत्पादक एलजी इंडिया को उसके विनिर्माण आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित टफएंड ग्लास देने में विफल रहे हैं।

ज. गुंबद आकार का टफएंड ग्लास फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों में प्रयुक्त होता है। गुंबद आकार का टफएंड ग्लास फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों के दरवाजे में फिट होता है। इसे सिंटरिंग की प्रक्रिया और मोल्ड के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। टफएंड ग्लास हीट टेंपर्ड होता है और आम तौर पर पारदर्शी होता है। घरेलू उत्पादक एलजी इंडिया को गुंबद आकार का टफएंड ग्लास देने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास उसके विनिर्माण की क्षमता नहीं है।

झ. एलजी इंडिया प्राधिकारी से घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास के निम्नलिखित प्रकारों के संबंध में पीयूसी के दायरे के अंतर्गत स्पष्टीकरण पर विचार करने का प्राधिकारी से अनुरोध करता है:

i. इंस्टा-व्यू डोर असेंबली
ii. रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली टफएंड ग्लास डोर असेंबली
iii. माइक्रोवेव ओवन डोर असेंबली

ञ. एलजी इंडिया ने घरेलू विनिर्माताओं से इंस्टा-व्यू डोर असेंबली खरीदने का प्रयास किया है। तथापि, वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। आपूतिकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस एसेंबली के विनिर्माण के लिए भारत में अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार एलजी इंडिया को इंस्टा-व्यू ग्लास की पूरी एसेंबली को चीन जन. गण. से आयात करना पड़ा है। इस उत्पाद को भी विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखना चाहिए।

ट. ओवन डोर में आम तौर पर आसानी से देखने के लिए एक खिड़की होती है जिसमें सुरक्षा बनाये रखने के लिए बाहरी पैनल से कुछ दूरी पर अनुकूल मैस की एक परत होती है। इस मैस से माइक्रोवेव दिखती है परंतु भीतर प्रकाश जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माइक्रोवेव ओवन डोर ग्लाव एसेंबली केवल एक टफएंड ग्लास नहीं है और इसमें एसेंबली में विभिन्न घटक भी जोड़े जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन डोर एसेंबली के आयात को एचएसएन कोड 85169000 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस डोर एसेंबली को शीर्ष 7007 के अंतर्गत टफएंड ग्लास के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

ठ. ग्रुव्ड टफएंड ग्लास को फ्रिज में ग्लास सेल्वज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक विशिष्ट टफएंड ग्लास होता है जिसमें ग्रुव्ड या ट्रिम्स होते हैं। यह ग्रुव्ज/ट्रिम किसी गोंद या टेप के बिना ग्लास को उसके स्थान पर फिट कर देते हैं। ग्रुव्ड की प्रक्रिया एक अतिरिक्त प्रक्रिया है जिसमें अितरिक्त लागत और संसाधन लगते हैं। इस प्रकार के टफएंड ग्लास न तो घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्रा में बनाया जाता है और न ही वे अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा करते हैं और इसलिए इसे बाहर रखना चाहिए।

ड. व्हर्लपूल ऐसे फ्रिज बनाता है जिसमें रंगीन और प्रिटेड रूप में टफएंड ग्लास की जरूरत होती है और इसका प्रयोग फ्रिज की पूरी डोर एसेंबली के फ्रंट पार्ट में होता है। घरेलू उद्योग इस प्रकार के ग्लास नहीं बनाता है क्योंकि प्रिंटिंग / कलरिंग की इस प्रक्रिया की प्रौद्योगिकी भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं है। इस कारण से इसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

ढ. प्राधिकारी वाशिंग मशीन और फ्रिज के निर्माण के लिए जरूरी टफएंड ग्लास की श्रेणी को वर्तमान जांच से बाहर कर सकते हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित को जांच के दायरे से बाहर कर सकते हैं:

i. 3.2 एमएम मोटाई का टफएंड ग्लास
ii. 3.2 एमएम मोटाई का यूरो डीप ग्रेडोर टफएंड ग्लास
iii. 5 एमएम मोटाई का टफएंड डोर ग्लास, मोल्डिंग और फोमिंग तकनीक सहित

ण. सैमसंग ने बताया है कि उनके आयात संबद्ध वस्तु की उपलब्धता के अभाव और घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित क्षमता नहीं होने के कारण हुये हैं। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि घरेलू उत्पादक भारत में सैमसंग इंडिया के लिए अपेक्षित टफएंड ग्लास हेतु यथा आवश्यक संगत प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में समर्थ हैं।

त. इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची की सरल समीक्षा यह दर्शाती है कि उसमें प्राथमिक रूप से ऐसे आयातक/प्रयोक्ता शामिल हैं जो सौर पैनलों और/ या चिमनी, गैस चूल्हें, ओवन आदि जैसे रसोई उपकरणों के लिए पीयूसी का प्रयोग करते हैं, जो इस अनुरोध को और अधिक सही सिद्ध करता है।

ग.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" हैं।

ख. संबद्ध वस्तु टैम्पर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के तौर पर भी जाना जाता है। वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैस रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर है।

ग. संबद्ध वस्तु का प्रयोग विभिन्न उपकरणों जैसे गैस चूल्हा, रेफ्रिजरेटर, घरेलू वाशिंग मशीन, लाइटिंग फिक्चर्स, कुकटॉप, ओवन, ग्रिल, चिमनी आदि के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी अंतर्निहित मजबूती, उच्च ऑप्टीकल स्पष्टता, असमतलता रहित समान सतह आदि के कारण उत्पाद के अनुप्रयोगों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु वृद्धि हो रही है।

घ. विचाराधीन उत्पाद को आम तौर पर एचएस कोड 70071900 के अंतर्गत आयातित किया जाता है । तथापि, आयात अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत हो सकते हैं। किसी भी तरह एचएस कोड वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद का विवरण सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत घरेलू उद्योग भारतीय उत्पादकों द्वारा यथा अपेक्षित पीयूसी के सभी प्रकारों का उत्पादन करता है।

च. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि पीयूसी को अंतिम प्रयोग आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल निराधार है और कानून, विषय तथा सीमा शुल्क प्रक्रियों के समझ के बिना है।

छ. संबद्ध वस्तु आर्डर पर बनाये गये उत्पाद हैं। घरेलू उपकरण में प्रयुक्त टफएंड ग्लास वास्तुशिल्प, ऑटोमोबाइल आदि जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास का स्थान नहीं ले सकता है। घरेलू उपकरणों में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाने हेतु ग्लास की प्रक्रियायें टफनिंग के स्तर से पहले करनी होती हैं। एक बार ग्लास के टफएंड होने पर ग्लास पर कोई अन्य प्रक्रिया नहीं हो सकती है।

ज. अनेक टैरिफ लाइनों के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण स्वयं ही किसी उत्पाद के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण या अंतर की परिकल्पना करता है। जब सीमा शुल्क टैरिफ स्वयं प्रयोग आधारित वर्गीकरण विहित करता है तो यह कहना पूरी तरह निराधार और गलत समझ है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास अंतिम प्रयोग को मापने का कोई साधन नहीं है।

झ. एलजी, सैमसंग और व्हर्लपूल ने कतिपय उत्पादों को पीयूसी से बाहर रखने का अनुरोध किया है। तथापि, यह काफी चिंताजनक है कि उन्होंने बाहर रखने के लिए बताये गये ऐसे उत्पादों के विनिर्देशन और तकनीकी ब्यौरों को गोपनीय रखा है। पीयूसी से किसी वस्तु को घरेलू उद्योग को संबंधित उत्पाद के विस्तृत विनिर्देशन दिये बिना बाहर नहीं किया जा सकता है।

ञ. संबद्ध वस्तु उपकरणों में प्रयोग होती है। इस प्रकार उसके लिए उस उपकरण की जरूरत के समान होना आवश्यक है जिसमें वह प्रयोग होती है। किसी विनिर्माता के लिए प्रत्येक आकार, आयाम और प्रकार के अनुकूलित उत्पादों को तब तक बनाने का कोई औचित्य नहीं है जब तक उसे ऐसा आर्डर न मिले। चूंकि प्रमुख प्रयोक्ता चीन की कम कीमतों के कारण संबद्ध वस्तु का आयात पसंद करते हैं इसलिए ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें संबद्ध वस्तु के कुछ प्रकार या अनुकूलित किस्म को घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं किया गया हो। परंतु ऐसा गैर उत्पादन, यदि कोई हो, तो केवल उपभोक्ताओं से आर्डर नहीं मिलने के कारण ही हुआ है। इसी कारण से किसी भी पक्षकार ने संबद्ध वस्तु की किसी किस्म/प्रकार का उत्पादन करने में घरेलू उत्पादकों की तकनीकी क्षमता के अभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

ट. क्लीयर फ्लोट ग्लास की कमी के कारण संबद्ध वस्तु की अनुपलब्धता के संबंध में डीजीटीआर के रिकार्ड में यह प्रदर्शित होगा कि भारत में 2 एमएम से 3.5 एमएम मोटाई वाले क्लीयर ग्लास का पर्याप्त उत्पादन होता है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादकों के पास 2 एमएम से 3.5 एमएम मोटाई वाले क्लीयर ग्लास के आयात का विकल्प भी है। इस प्रकार ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग उक्त मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता हो। वास्तव में आवेदकों ने स्वयं उक्त मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है।

ठ. संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए सबसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है। निदेशालय के समक्ष दो आवेदकों द्वारा प्रयुक्त मशीनरी भी उद्योग में सर्वोत्तम है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बीआईएस जैसे किसी मापने योग्य मानक को उपलब्ध नहीं कराया है जो यह दर्शाता हो कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तु घटिया गुणवत्ता की है। वास्तव में अधिकांश भारतीय उत्पादकों ने पहले ही बीआईएस लाइसेंस ले लिये हैं जबकि चीन के निर्यातकों के पास यह नहीं है। अत: इस संबंध में, पक्षकारों द्वारा लगाये गये आरोप केवल विभाग को गुमराह करने के इरादे से लगाये गये हैं।

ड. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पक्षकारों के दावे के विपरीत चीन की वस्तुयें घटिया गुणवत्ता की है। चीन जन. गण. से कम कीमत और कम गुणवत्ता के आयातों की समस्या को

डपीआईआईटी से हमें प्राप्त मेल में भी स्वीकार किया गया है जिसने चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के कम गुणवत्ता के आयातों को रोकने के लिए हमारे सुझाव मंगाये हैं।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. जांच शुरूआत की सूचना में विचाराधीन उत्पाद को "1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम के क्षेत्रफल वाले घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास" के रूप में परिभाषित किया गया है। पीयूसी को टेंपर्ड ग्लास या सेफ्टी ग्लास के रूप में भी जाना जाता है।

8. पीयूसी को अध्याय 70 के अन्तर्गत आयातित किया गया है जो "ग्लास और ग्लासवेयर" से संबंधित है। आवेदक एसोसिएशन के अनुसार आठ अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70071900 है। यद्यपि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न अन्य उपशीर्षों जैसे 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090 के अन्तर्गत पीयूसी का आयात किया जाता है। यह उपशीर्ष केवल सांकेतिक हैं और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं क्योंकि पीयूसी के आयात की सूचना विभिन्न अन्य उपशीर्षों के अन्तर्गत भी मिल सकती है।

9 जांच शुरूआत अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि वर्तमान जांच घरेलू/गृह उपकरणों जैस रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। किसी अन्य प्रयोजन जैसे ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प आदि के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

10. पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई थीं और तदनुसार 23.11.2022 को इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई थी। उक्त हितबद्ध पक्षकारों के विचारों और अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए 13.12.2022 निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अधिसूचित की गई थी:

क्र. सं.	पीसीएन मानदंड	विवरण	पीसीएन कोड

1.	उपकरणों की श्रेणी	रेफ्रिजरेटर कुकटॉप/स्टोव वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव/ओटीजी/ओवन चिमनी इंडक्शन घरेलू उपकरणों के प्रयुक्त कोई अन्य टफएंड ग्लास	आर के डब्ल्यू एम वाई आई ओ
2.	मोटाई	1.8 एमएम से 3.2 एमएम 3.2 एमएम से अधिक 5 एमएम तक 5 एमएम से अधिक 8 एमएम तक	32 50 80
3.	रंग (टिंट)	टिंटेड क्लीयर	टी एन
4.	घुमाव	कर्वड समतल	सी एफ
5.	आकार	आयताकार गैर आयताकार	आरई एनआर

उदाहरण के लिए:

वाशिंग मशीन हेतु 3.2 एमएम की मोटाई वाले टिंटेड आयताकार कर्वड ग्लास।

उपकरण	श्रेणी	मोटाई	रंग	घमाव	आकार	पीसीएन
वाशिग मशीन	डब्ल्यू	32	टी	सी	आरई	डब्ल्यू-32-टी-सी-आई

11. यह भी स्पष्ट किया गया था कि निम्नलिखित वस्तुएं पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

क. बर्तनों के ग्लास लीड्स में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ख. इलेक्ट्रानिक स्विच तथा स्विच बोर्ड पैनल में प्रयोग टफएंड ग्लास

ग. डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

12. प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों से निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी से बाहर रखने के अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं।

क. वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास
ख. माइक्रोवेव ओवन के लिए प्रयुक्त 2 एमएम और 3.2 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास
ग. गुम्बद के आकार का टफएंड ग्लास
घ. ग्रूव्ड टफएंड ग्लास
ड. रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास
च. यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास
छ. 2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई वाली संबद्ध वस्तुओं

उक्त अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

<u>वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास</u>

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉपलोड वाशिंग माशीनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास दो प्रकार के होते हैं अर्थात फ्लैट टफएंड ग्लास और कर्वड तथा रंगीन टफएंड ग्लास। घरेलू प्रयोक्ताओं ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास रंगीन कर्वड टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता नहीं है। इसके अलावा, कर्वड टफएंड ग्लास के निर्माण के लिए घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त कटिंग और ग्राइंडिंग तकनीक के संबंध में समस्या है और इसलिए वे एलजी इंडिया की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं।

14. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रकार का टफएंड ग्लास पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया गया है। अत: प्राधिकारी ने वाशिंग मशीन के लिए कर्वड रंगीन ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

<u>माइक्रोवेव ओवन/2 एमएम और 3.2 एमएम मोटाई वाली संबद्ध वस्तु के लिए प्रयुक्त 2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास</u>

15. प्राधिकारी 2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के लिए विनिर्माण में टफएंड ग्लास के प्रयोग के संबंध में आयातकों/प्रयोक्ताओं के तर्कों को नोट करते हैं और यह कि भारत में

2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम के फ्लोड ग्लास की पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्धता है। अत: टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादकों को इस कच्ची सामग्री का आयात करना पड़ा है और इस कारण से वे भारत में प्रयोक्ताओं के लिए 2 एमएम, 3.2 एमएम और 5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास के विनिर्माण और आपूर्ति में रूचि नहीं रखते हैं।

16. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में यह सूचना उपलब्ध है कि घरेलू उत्पादक 2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई वाले क्लीयर फ्लोट ग्लास का आयात करते हैं और उसे घरेलू रूप से भी मंगाते हैं तथा फिर इसे आगे टेंपर/ टफएंड करते हैं।

17. प्राधिकारी रिकार्ड में सूचना से यह भी नोट करते हैं कि मेसर्स जीएससी ग्लास के पास पीओआई के दौरान 3.2 एमएम और 3.5 एमएम टफएंड ग्लास को बनाने की क्षमता थी और उन्होंने इसे बेचा भी था। जबकि मेसर्स टीपीआरएस के पास 2 एमएम टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है।

18. अत: प्राधिकारी घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त 2 एमएम, 3.2 एमएम और 3.5 एमएम मोटाई के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखते हैं।

<u>गुम्बद के आकार का टफएंड ग्लास</u>

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुंबद के आकार के टफएंड ग्लास भारत में कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा फ्रंट लोड वाशिंग मशीनों में प्रयोग के लिए बनाये जाते हैं। इसे सिंटरिंग की प्रक्रिया और मोल्ड के प्रयोग से विनिर्मित किया जाता है। टफएंड ग्लास हीट टेंपर्ड होते हैं और सामान्यत: पारदर्शी होते हैं।

20. इस प्रकार के टफएंड ग्लास घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं होते हैं । अत: प्राधिकारी गुंबद के आकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लेते हैं।

<u>ग्रुव्ड टफएंड ग्लास</u>

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रुव्ड टफएंड ग्लास एक विशिष्ट टफएंड ग्लास होता हैं जिसमें ग्रुव्ड या ट्रिम्स होते है। इस ग्रुव्ड/ट्रिम्स से ग्लास किसी गोंद या टेप के बिना अपनी जगह

पर फिट हो जाता है। ग्रुविंग की प्रक्रिया एक अतिरिक्त प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त लागतें और संसाधन लगते हैं। इसे फ्रिज में ग्लास सेल्वस के रूप में प्रयोग किया जाता है।

22. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उनके पास इस प्रकार के टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है। अत: प्राधिकारी ने ग्रुव्ड टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है।

<u>रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास</u>

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कुछ फ्रिज निर्माता है जिन्हें रंगीन और मुद्रित रूप में टफएंड ग्लास की जरूरत होती है और इसे फ्रिज की पूरी डोर एसेंबली के सामने के भाग में प्रयोग किया जाता है।

24. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है और उसने इसे उत्पादित किया और बेचा भी है। अत: प्राधिकारी ने फ्रिज के दरवाजे के लिए मुद्रित/रंगीन ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखने का निर्णय लेते हैं। तथापि जब ऐसे उत्पाद संयोजित रूप में आयातित होते हैं तो वे पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

<u>यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास</u>

25. प्राधिकारी यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास के संबंध में घरेलू प्रयोक्ताओं के तर्कों को नोट करते हैं। घरेलू प्रयोक्ताओं ने यह बताया है कि भारतीय ग्लास प्रसंस्कर्ताओं को यूरो डीप ग्रे ग्लास के आयात की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत में कोई भी ग्लास विनिर्माता ग्रे कलर में टिंटेड कलर ग्लास का उत्पादन नहीं करता है और मोल्डिंग तथा फोमिंग तकनीक वाले ग्लास के संबंध में भारत में कोई भी विनिर्माता ऐसी प्रौद्योगिकी के ग्लास का निर्माण नहीं करता है। ग्लास प्रोसेसर स्थानीय रूप से केवल कटिंग, एचिंग और टेंपरिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं, परंतु इसके लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री भारत में उपलब्ध नहीं है। अत: सैमसंग इंडिया को वाशिंग मशीन के विनिर्माण में प्रयोग के लिए भारत से बाहर के इन टफएंड ग्लास का आयात करना पड़ता है।

26. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त अनुरोध इस मान्यता पर आधारित है कि ऐसे फ्लोट ग्लास जो पीयूसी के लिए कच्ची सामग्री हैं, भारत में यूरो डीप ग्रे कलर में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत में उक्त उत्पाद की अनुपलब्धता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि उक्त उत्पाद पीयूसी की एक कच्ची सामग्री है इसलिए उसे पीयूसी के घरेलू उत्पादकों द्वारा आयातित भी किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों के पास यूरो डीप ग्रे टिंटेड टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है क्योंकि फ्लोट ग्लास से पीयूसी बनाने की प्रक्रिया फ्लोट ग्लास के टिंट/रंग में परिवर्तन के लिए कारण अलग नहीं होती है। अत: यदि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग को कोई आर्डर दिया जाता है तो वह उसे पूरा कर सकता है।

27. तदनुसार, प्राधिकारी यूरो डीप ग्रे टिंटेड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं करने का निर्णय लेते हैं।

28. प्राधिकारी को घरेलू उपकरणों के लिए निम्नलिखित प्रकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे में रखने के संबंध में स्पष्टीकरणों पर विचार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं:

क. इंस्टा-व्यू डोर असेंबली
ख. रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाली टफएंड ग्लास डोर असेंबली
ग. माइक्रोवेव ओवन डोर असेंबली

29. घरेलू उपकरणों के लिए उक्त प्रकार के टफएंड ग्लास को पीयूसी में रखने संबंधी स्पष्टीकरणों पर विचार के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि टफएंड ग्लास डोर एसेंबली का हिस्सा है चाहे वह फ्रिज के लिए हो या माइक्रोवेव ओवन के लिए या डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) के समान किसी अन्य समान प्रयोजन के लिए हो। प्राधिकारी ने पहले ही डीजीयू में प्रयुक्त टफएंड ग्लास को 13.12.2022 को पीसीएन पद्धति को अधिसूचित करते हुए पीयूसी से बाहर रखा है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि संयोजित रूप में आयात करने पर टफएंड ग्लास जैसे इंस्ट-व्यू डोर एसेंबली, रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव ओवेन को पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

30. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित वस्तु घटिया गुणवत्ता की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बीआईएस जैसा कोई मात्रात्मक मानक नहीं दिया है जो यह दर्शाता हो कि भारतीय विनिर्माताओं द्वारा

उत्पादित वस्तुएं घटिया गुणवत्ता की है। इसके अलावा, अधिकांश भारतीय उत्पादकों ने बीआईएस लाइसेंस प्राप्त किया है।

31. वर्तमान जांच रेफ्रिजरेटर, कुक-टॉप, ओटीजी, माइक्रोवेव, एलईडी आदि जैसे गृह/घरेलू उपकरणों में प्रयोग के प्रयोजनार्थ आयातित विचाराधीन उत्पाद तक सीमित है। ऑटोमोबाइल, वास्तुशिल्प जैसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए आयातित टफएंड ग्लास पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

32. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पीयूसी को अंतिम उपयोग के आधार पर परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, प्राधिकारी मानते हैं कि पीयूसी को अंतिम प्रयोग के आधार पर परिभाषित करने में कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनेक टैरिफ मदों के लिए सीमा शुल्क वर्गीकरण में किसी उत्पाद के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण या विभेद करने की परिकल्पना की गई है। जब सीमा शुल्क टैरिफ स्वयं ही प्रयोग आधारित वर्गीकरण निर्धारित करता है तो यह बताना गलत है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास अंतिम प्रयोग को मापने के लिए कोई साधन या मापदंड नहीं है। इस प्रकार अंतिम उपयोग के आधार पर पीयूसी के दायरे को परिभाषित करने के संबंध में कोई त्रुटि नहीं है।

33. उक्त के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

" घरेलू उपकरणों के लिए 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई या 0.4 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले टफएंड ग्लास" जिसमें निम्नलिखत शामिल नहीं हैं:

क) बर्तनों के कांच के ढक्कनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
ख) इलेक्ट्रॉनिक स्विच और स्विच बोर्ड पैनलों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
ग) वाशिंग मशीन के लिए घुमावदार रंगीन ग्लास
घ) डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास
ड.) गुंबद के आकार का टफएंड ग्लास
च) ग्रुव्ड टफएंड ग्लास

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

34. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं:

क. घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध वस्तु के 17 घरेलू उत्पादकों के बारे में बताया है। यह अनुरोध किया जाता है कि हमारी समझ के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माता घरेलू उत्पादकों की संख्या पूंजी निवेश के कम स्तर और संबद्ध वस्तु के विनिर्माण को एमएसएमई क्षेत्र के लिए आरक्षित करने के कारण काफी अधिक होगी।

ख. घरेलू उद्योग ने रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जो यह दर्शाता हो कि संबद्ध वस्तु के केवल 17 घरेलू उत्पादक हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने याचिकाकर्ता और समर्थक उत्पादकों के अलावा घरेलू उत्पादकों की उत्पादन के प्रमाणिक ब्यौरे भी उपलब्ध नहीं कराये हैं।

ग. यह संभव है कि भारत में ऐसे अनेक अन्य घरेलू उत्पादक भी हों जिन्हें याचिका में नहीं रखा गया है। अत: प्रतिवादी प्राधिकारी से भारत में घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों की स्थिति की स्वतंत्र जांच करने और केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा नहीं करने का अनुरोध करते हैं।

घ. घरेलू उद्योग ने पहली बार 4 फरवरी, 2023 की अद्यतन याचिका में देश में टफएंड ग्लास के 202 उत्पादकों के ब्यौरे प्रदान किये हैं। इन 202 उत्पादकों में से घरेलू उद्योग ने बताया है कि भारत में पीयूसी की उनकी परिभाषा के अनुसार संबद्ध वस्तु के केवल 17 उत्पादक हैं। उन्होंने अन्य 185 शेष उत्पादकों से घोषणाओं/उत्पादन के ब्यौरों जैसे समर्थक किसी ठोस साक्ष्य को प्रदान नहीं किया है कि उन्होंने पूरी क्षति जांच अवधि अर्थात 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान संबद्ध वस्तु का उत्पादन नहीं किया है।

ड. मौखिक सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक विवरण दिया कि समर्थक उद्योग माननीय प्राधिकारियों को अपेक्षित आंकड़े देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि समर्थक उद्योग में छोटी कंपनियां शामिल हैं। तथापि, इस पर बिना विचार किये प्राधिकारी को किसी जांच में सभी उद्योगों के लिए निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं में अनुपालन की आवश्यकता है। समर्थक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र दिनांक 27 सितंबर,

2018 की 2018 की व्यापार सूचना 13 में अधिदेशित समर्थन पत्रों के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। व्यापार सूचना में कम से कम 30 मापदंड विहित हैं जिनमें सीए, प्रमाणन शामिल हैं। तथापि, याचिका के साथ संलग्न समर्थन पत्र में बहुत थोड़े से मापदंड दिये गये हैं। प्राधिकारी के लिए सभी याचिकाकर्ताओं और उद्योगों हेतु मानकीकृत प्रपत्रों का पालन करना अपेक्षित है। व्यापार सूचना का चुनिंदा कार्यान्वयन नहीं अपनाया जाना चाहिए।

च. जब अनेक घरेलू विनिर्माता हैं तो घरेलू उद्योग की स्थिति को विश्वसनीय साक्ष्य के साथ स्थापित करना चाहिए। वर्तमान मामले में आवेदक ने भारतीय उत्पादन के अपने विवरण के लिए सूचना के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है।

छ. कुछ प्रमुख विनिर्माता जैसे असाही ग्लास लिमिटेड न तो आवेदन के भागीदार हैं और न ही उसके समर्थक हैं। उनके नाम याचिका के प्रदर्श- 4 में अन्य घरेलू उत्पादकों की सूची में भी नहीं बताये गये हैं। इस प्रकार कुल घरेलू उत्पादन को निश्चित रूप से कम बताया गया है जो 2 आवेदकों की स्थिति पर प्रश्न उठाता है।

ज. प्रमुख घरेलू उत्पादकों द्वारा भागीदारी नहीं करने की जांच की जानी चाहिए और उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसके अलावा, कारोबार की मात्रा को देखते हुए याचिकाकर्ता के तर्क में कोई सच्चाई नहीं है कि प्राधिकारी की अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और घरेलू उत्पादक पर्याप्त रिकार्ड नहीं रखते हैं।

घ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

35. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये हैं:

क. यह आवेदन सेफ्टी/विशिष्ट ग्लास प्रसंसकर्ताओं की एक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) द्वारा मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज की ओर से दायर किया गया है। यह आवेदन समर्थन पत्रों के माध्यम से मेसर्स नंदा ग्लास इंडस्ट्रीज और मेसर्स श्री अष्टविनायक ग्लास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

ख. आवेदकों का संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा कानून के अंतर्गत विहित मापदंडों से काफी अधिक हैं। इसके अलावा, आवेदकों तथा समर्थकों के पास घरेलू बाजार में अधिकांश हिस्सा है।

ग. यह दलील की कि आवेदक असाही जैसे उत्पादकों की तुलना में काफी छोटे विनिर्माता हैं, निराधार है। जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद "घरेलू उपकरणों में प्रयोग के लिए टफएंड ग्लास....." है। असाही और भारत में अन्य बड़े विनिर्माताओं जैसे सेंट गोबेन द्वारा उत्पादित टफएंड ग्लास, ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिए है। अन्य प्रमुख कंपनियां अजय पॉली प्राइवेट लिमिटेड मुख्यत: घरेलू और वाणिज्यिक उद्योगों के लिए रेफ्रिजरेशन सीलिंग प्रणालियों का अधिकांशत: उत्पादन और आपूर्ति करते हैं। किसी भी तरह किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए भी रिकार्ड में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदकों के पास कानून के अंतर्गत विहित कोई मापदंड नहीं है।

घ. उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न उत्पादन प्रक्रिया और विशेषताएं हैं जो वास्तुशिल्प प्रयोजनों, ऑटोमोबाइल प्रयोगों आदि में प्रयुक्त टफएंड ग्लास से उन्हें अलग करती हैं। ऐसे उत्पाद विशेषताओं के अनुसार प्रतिस्थापनीय नहीं हैं और वास्तुशिल्प प्रयोजनों, ऑटोमोटिव प्रयोगों आदि के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास के उत्पादन में शामिल उत्पादक उपकरणों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास के लिए अपेक्षित उपभोक्ताओं की जरूरतों को तथा इसके विपरीत को पूरा नहीं कर सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जो यह दर्शाएगा कि उपकरणों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास के लिए विभिन्न अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता होती है जो अन्य प्रकार के टफएंड ग्लास विनिर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं है।

ड. वर्तमान मामले में वास्तुशिल्प/ऑटोमोबाइल प्रयोजन आदि के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास और घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास के बीच स्पष्ट चिन्हांकन किया गया है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल और वास्तुशिल्प प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में ट्रांस्मिशन में स्पष्टता का कतिपय स्तर से अपेक्षित है जबकि उपकरणों के लिए प्रयुक्त टफएंड ग्लास में ऐसा कोई विनिर्देशन अपेक्षित नहीं है।

इसके अलावा, इन दोनों ग्लासों की उत्पादन प्रक्रिया भी अलग है, क्योंकि उपकरणों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास के लिए ड्रिलिंग, पेंटिंग/ कलर, घुमाव आदि के लिए अतिरिक्त मशीनरी की आवश्यकता होती है।

च. हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि आवेदकों की स्थिति त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि उत्पादन के दायरे को अंतिम प्रयोग तक सीमित किया गया है, गलत है। नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा की केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में जांच की जाए। रिकार्ड में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है कि जो यह सिद्ध करती हो कि विचाराधीन उत्पाद को अंतिम प्रयोग के आधार पर सीमित/परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

छ. एफओएसजी ने दो आवेदक घरेलू उत्पादकों की ओर से संबद्ध वस्तु घरेलू उत्पादकों की उपस्थिति में दिनांक 25.06.2021 संकल्प पारित होने के बाद पाटनरोधी शुल्क का आवेदन प्रस्तुत किया है।

ज. एसोसिएशन के माध्यम से आवेदन दायर करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अधिकांश घरेलू उत्पादक पाटनरोधी आवेदन दायर करने के मामले में उलझन में थे, क्योंकि वे अपने उपभोक्ताओं को परेशानी में डालने के बारे चिंतित थे। विचाराधीन उत्पाद एक आर्डर पर निर्मित उत्पाद है। विचाराधीन उत्पाद के अधिकांश आयातक भी घरेलू उत्पादकों से उत्पाद खरीद रहे हैं (यद्यपि कम मात्रा में)। अत: अधिकांश उपभोक्ता पाटनरोधी मामला दायर करने को एक प्रतिकूल कदम मानते हैं। यही कारण है कि घरेलू उत्पादक अपने नाम से या आवेदक के रूप में आवेदन दायर करने की इच्छा नहीं रखते हैं।

झ. एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास द्वारा प्राप्त आर्डर जांच शुरूआत के बाद काफी कम हो गया है। इसके अलावा, जो उपभोक्ता वर्षों से जीएससी ग्लास से उत्पाद खरीदते थे, अब उन्होंने गलत कारण बताते हुए आपूर्ति की गई सामग्री को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह समझ से परे है कि उक्त घरेलू उत्पादक से अनेक वर्षों से संबद्ध उत्पाद को खरीदने वाले समान उपभोक्ताओं ने अचानक वर्तमान जांच की शुरूआत के बाद बिल्कुल समान उत्पादों को अस्वीकार करना क्यों शुरू कर दिया है।

घ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

36. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

37. यह आवेदन सेफ्टी/विशिष्ट ग्लास प्रसंस्कर्ताओं की एक एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) द्वारा मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज ("आवेदकों") की ओर से दायर किया गया है। यह आवेदन समर्थन पत्रों के माध्यम से मेसर्स नंदा ग्लास इंडस्ट्रीज और मेसर्स श्री अष्टविनायक ग्लास प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित था।

38. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि समर्थक उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत समर्थन पत्र 2018 की व्यापार सूचना 13 दिनांक 27 सितंबर, 2018 में अधिदेशित समर्थन पत्रों के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना सं. 04/2021 दिनांक 16.06.2021 के माध्यम से प्राधिकारी ने ऐसे मामलों में जहां व्यापार सूचना सं. 13/2018 दिनांक 27/09/2018 के अनुबंध 1 और अनुबंध 2 में यथा निर्धारित सूचना का अनुपालन नहीं हुआ हो, वहां समर्थकों से अपेक्षित सूचना में ढील दी है। उक्त व्यापार सूचना में पीओआई सहित क्षति अवधियों के संबंध में कतिपय मूल सूचना दी गई थी जो समर्थकों द्वारा दिये जाने के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में समर्थन पत्र व्यापार सूचना सं. 04/2021 दिनांक 16.06.2021 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

39. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में स्थित हैं और तुलनात्मक रूप से छोटी कंपनियां है। संबद्ध वस्तु के आयातक कम मात्राओं में घरेलू उत्पादकों से संबद्ध वस्तु की खरीद भी कर रहे हैं और उनके उपभोक्ता हैं।

40. असाही और अजय पॉली के पीयूसी के प्रमुख उत्पादक होने संबंधी हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं को नोट करते हुए प्राधिकारी ने पीयूसी के दो कथित उत्पादकों को पत्र भेजे थे। तथापि, किसी भी कथित उत्पादक से उत्तर नहीं मिला है।

41. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी आवेदक ने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है या वे संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी ने रिकार्ड में विस्तृत सूचना की जांच की है और नोट करते हैं कि आवेदकों के पास नियम 2(ख) के अनुसार कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है।

42. समर्थकों सहित आवेदकों के पास कुल घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक (अर्थात *** प्रतिशत) हिस्सा भी है। अत: घरेलू उद्योग नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

43. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका अधूरी है और इसमें ऐसी अनिवार्य सूचना का प्रकटन नहीं किया गया है जो हितबद्ध पक्षकारों के लिए उनका बचाव करने के लिए आवश्यक है।

ख. याचिका का अगोपनीय अंश, गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है। अत: निर्यातक अपने हित का कारगर ढंग से बचाव करने में असमर्थ हैं।

ग. याचिकाकर्ता ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 दिनांक 07/09/2018 की अपेक्षाओं की अनेदखी की है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

घ. याचिका में निम्न के संबंध में पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है: (i) विनिर्माण प्रक्रिया; (ii) विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के नाम; (iii) घरेलू उद्योग को छोड़कर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य; (iv) क्षमता

उपयोग के लिए औसत उद्योग मानक; (v) मालसूची के लिए औसत उद्योग मानक; (vi) जुटाई गई निधियां: ऋण और अग्रिम; (vii) निर्यात कीमत/इकाई; (viii) पीबीआईटी के लिए औसत उद्योग मानक; (ix) पीयूसी की खरीद; (x) क्षतिरहित कीमत ।

ड. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 सूचना नहीं देने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

च. याचिकाकर्ता ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों के बारे में अनुचित रूप से गोपनीयता का दावा किया है।

छ. घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। यह बताया गया था कि लागत और कीमत निर्धारण से संबंधित समस्त सूचना गोपनीय रखी गई है और उनका अगोपनीय अंश आंकड़ों के रूझान बताते हुए प्रदान किया गया है।

ज. निर्यातकों की शेयरधारिता संबंधी सूचना गोपनीय रखी गई है क्योंकि यह व्यापार संवेदनशील सूचना है।

ङ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

44. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता केवल लागत निर्धारण सूचना के लिए है जिसमें लागत और कीमतें शामिल हैं।

ग. घरेलू उद्योग ने उस समस्त सूचना जिसके लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, के सूचीबद्ध आंकड़े प्रदान किये हैं।

घ. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय अंश गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है।

ड. निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और आंकड़ों का उचित सूचीकरण प्रदान नहीं किया है।

च. निर्यातकों ने उद्यम की संरचना, शेयरधारिता की प्रवृत्ति, निर्यातक और अन्य उद्यमों के बीच संबंध के स्वरूप आदि जैसी मूल सूचना को गोपनीय रखा है। यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है।

ड.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

45. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराया था।

46. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार प्रावधान है-:

''गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम(2), नियम 15 के उपनियम(4) और नियम 17 के उपनियम(4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

47. हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य पक्षकारों के गोपनीयता के दावों का मुद्दा उठाया है। गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। कमियों को नोट करने पर हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग के प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना का कड़ाई से अनुपालन करते हुए उनकी याचिका/उत्तर में सूचना अद्यतन करने के लिए कहा गया है। परिणामस्वरूप हितबद्ध पक्षकारों ने अद्यतन सूचना उपलब्ध करायी है। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनकि फाइल के रूप में उपलब्ध कराया था।

48. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी हितबद्ध पक्षकारों से इस अनरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

च. <u>विविध मुद्दे</u>

च.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध</u>

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. भारतीय मानक ब्यूरो टफएंड ग्लास पर लागू बीआईएस मानक ला रहा है। इस प्रकार ऐसा कोई उत्पादक/निर्यातक जो बीआईएस के अंतर्गत विहित अपेक्षित मानकों को पूरा करने में करने में असमर्थ होगा वह भारतीय बाजार से स्वत: बाहर हो जाएगा। इससे संबद्ध देश से आयातों की मात्रा घट जाएगी और घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। जिससे उन्हें पहले से सुधरती हुई आर्थिक स्थिति में और सुधार करने का अवसर मिल जाएगा।

ख. संशोधित बीआईएस मानक 2553: भाग 1, 1 अप्रैल, 2023 से संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू होगा। बीआईएस मानक के माध्यम से भारत सरकार संबद्ध वस्तु के आयातों पर गुणात्मक विनियमन लागू करती है। इसके परिणामस्वरूप भारत में घरेलू बाजार में आने वाली कम कीमत की और घटिया गुणवत्ता की संबद्ध वस्तु बाहर हो जाती हैं। अत: कम कीमत पर भारत में खराब गुणवत्ता के आयात स्वत: बंद हो जाएंगे और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा हो जाएगी।

ग. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना पर आधारित आयात आंकड़ों का मनमाने ढंग से प्रयोग किया है। हम समझते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रयुक्त आंकड़े प्रतिनिधि या विश्वसनीय नहीं हैं। ऐसा इस कारण से है कि प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है।

घ. घरेलू उद्योग का हिस्सा बने उत्पादकों अर्थात मेसर्स जीएससी ग्लास (पी) लिमिटेड और मेसर्स टीपीआरएस एंटरप्राइजेज ने अपने आयातों और संबद्ध वस्तु के आयातकों/निर्यातकों के साथ अपने संबंधों के लिए सही हस्ताक्षरित घोषणाएं प्रस्तुत नहीं की है।

ड. सीसीसीएमई को हितबद्ध पक्षकार माना जाना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों की परिभाषा इस अर्थ में शामिल है और इस प्रकार परिभाषा में विहित पक्षकारों की सूची पूर्ण नहीं है और उक्त परिभाषा में सूचीबद्ध नहीं किया गया कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी पाटनरोधी जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में शामिल किया जा सकता है।

च. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार टैरिफ उपशीर्ष 7007 1900 के लिए आयात डाटाबेस के रूप में संबद्ध वस्तु के आयात आंकड़ों को वर्गमीटर (एसक्यूएम) में दर्ज किया गया है। तथापि, आवेदकों ने आयात आकड़ों से संबंधित सूचना मीट्रिक टन (एमटी) में प्रस्तुत की है। एसक्यूएम से आयात आंकड़ों को एमटी में बदलने के लिए प्रयुक्त पद्धति को आवेदकों द्वारा बताया नहीं गया है।

छ. आयातों को अलग करने में प्रयुक्त पद्धति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए टफएंड ग्लास को बाहर रखा जाएगा, प्रकट नहीं किया जाए।

ज. याचिका में प्रदत्त आयात आंकड़े ग्लास उत्पादों में सौदावार आयात आंकड़ों को प्रभावित करने के अंतर्निहित मुद्दों के कारण विश्वसनीय नहीं हैं।

झ. प्रतिवादी ने अनुरोध किया है कि आयात आंकड़े प्रवेश बिल ("बीओई") आधार पर सौदावार आयात आंकड़ें नहीं दर्शाते हैं। यह संभव है कि जब संबद्ध वस्तु आयात की गई है तो एकल बीओई को विभिन्न मोटाई के ग्लास के लिए बनाया जा सकता है। यह संभव है कि एक बीओई में 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच मोटाई के आयातों के लिए अनेक प्रविष्टियां दी गई हों। तथापि, आयात सौदों में दर्ज संबद्ध वस्तु की मोटाई सर्वाधिक मोटाई का विवरण हो सकता है। ऐसे मामले में बीओई के मूल्य में बदलाव नहीं होगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप एमटी आधार पर उच्चतर मात्रा होगी। परिणामस्वरूप प्रति एमटी कीमत घट जाएगी।

ञ. जांच शुरूआत अधिसूचना में डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात आंकड़ों के बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी गई है। डीजी सिस्टम से मांगे गए संबद्ध वस्तु के वास्तविक आयात आंकड़ों का प्रकटन नहीं हुआ है।

च.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

50. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किये हैं:

क. चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई) को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

ख. यह दावा कि डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग प्रभावित होगा, बिल्कुल निराधार है। शुल्क का संभावित प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग पर बहुत कम होगा और अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग शून्य होगा। 10 प्रतिशत शुल्क लागू करने का प्रभाव अंतिम डाउनस्ट्रीम उद्योग पर *** प्रतिशत से *** प्रतिशत के बीच होगा।

ग. आयात आंकड़ों के सही होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई अशंकाओं के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करने के

समय अपने पास उपलब्ध निजी आयात आंकड़ों पर भरोसा किया था। डीजीसीआई एंड एस या डीजी सिस्टम्स के आंकड़े आवेदकों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। वास्तव में जांच शुरूआत अधिसूचना में स्वयं नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद शुरू की गई है। इस प्रकार इस बारे में जताई गई आशंकाएं निराधार हैं।

घ. यह अनुरोध किया जाता है कि याचिका से वर्णनात्मक हिस्से में स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उसके आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, घोषणा में "निर्यातक" का न होना केवल एक टंकण की त्रुटि है और उसका कोई महत्व नहीं है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

51. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि बीआईएस मानक लागू होने से आयातों की मात्रा घट जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित हैं अथवा नहीं। बीआईएस द्वारा की गई कार्रवाई वस्तुओं के गुणात्मक पहलू को प्रभावित करेगी, परंतु संबद्ध वस्तु के पाटन, यदि कोई हो, को प्रभावित नहीं करेगी।

52. आवेदकों द्वारा उनकी याचिका में प्रयुक्त आयात आंकड़ों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जताई गई चिंताओं के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रकार इस वजह से हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पक्षपात नहीं हो सकता है।

53. इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद प्राधिकारी को डीजीसीआई एंड एस से सौदावार आयात आंकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तथापि, जैसा हितबद्ध पक्षकारों ने नोट किया है और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों तथा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों दोनों के साथ सह संबंधित निर्यात आंकड़ों में देखा गया है। प्राधिकारी ने नोट किया है कि जब विभिन्न मोटाई की संबद्ध वस्तु का एक विशेष बीजक के अंतर्गत आयात किया जाता है तो डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में ऐसी समस्त मात्रा दर्ज होती है जो केवल उस एक मोटाई शीर्ष के अंतर्गत हो, जबकि डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में एक बीजक में पृथक मदों के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाती है। इसके मद्देनजर सौदों की आवश्यक जांच और अपेक्षित विश्लेषण के बाद डीजी सिस्टम्स के

आंकड़ों पर आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने और विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा से सह संबंधित करने तथा प्रस्तुत उत्तरों का सत्यापन करने, जहां तक व्यवहार्य हो, के लिए भरोसा किया गया है।

54. आयातों आंकड़ों को वर्गमीटर से एमटी में बदलने के लिए प्रयुक्त पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को भारतीय बाजार में आमतौर पर वर्गमीटर में बेचा जाता है। घरेलू उद्योग उत्पादन, बिक्री, भंडार आदि से संबंधित मात्रात्मक आंकड़े केवल वर्गमीटर में ही रखता है। तथापि, संबद्ध जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ने ग्लास के मानक भार / घनत्व (2.5 केजी/एम^3) के आधार पर सभी मात्रात्मक मापदंडों को वर्गमीअर से एमटी में बदलने का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने ग्लास के मानक भार के आधार पर एमटी में परिकलित सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है।

55. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार यह नोट किया जाता है कि ग्लास का दावा किया गया मानक भार/ घनत्व ग्लास की मोटाई, ग्लास के घुमाव, ग्लास की कटिंग जैसे कुक टॉप/चिमनी आदि में के आधार पर विभिन्न पीसीएन प्रकारों के लिए अलग-अलग है। अत: निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु के बीच बिल्कुल सटीक तुलना और पाटन तथा क्षति मार्जिन के लिए उचित गणना के लिए प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित संबद्ध वस्तु को वर्गमीटर से एमटी भार में बदलने के लिए ग्लास के मानक भार का प्रयोग किया है।

56. आवेदकों द्वारा प्रदत्त गलत घोषणा के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में बताया है कि वे किसी निर्यातक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त सौदावार आयात आंकडों से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों का सत्यापन किया है और यह मानते हैं कि उन्होंने पीओआई या क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।

57. हितबद्ध पक्षकार के रूप में सीसीसीएमई की पात्रता के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सीसीसीएमई को विहित समय-सीमा के भीतर संबद्ध जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। तथापि प्राधिकारी ने फिर भी उचित स्थानों पर सीसीसीएमई द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

58. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का तात्पर्य है:

"(ग) किसी वस्तु के संबंध में 'सामान्य मूल्य' का तात्पर्य है-

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) मानना लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं हैं।

ख. चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल की की धारा 15 में संगम प्रावधान जो चीन जन. गण. को एनएमई मानता है, 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। अत: वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को किसी जांच में चीन जन. गण. को एनएमई मानने की अनुमति देता हो।

ग. यदि प्राधिकारी यह भी निर्धारित करते हैं कि चीन जन. गण. इस जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में तीसरी पद्धति (*अर्थात इसकी अन्य तर्कसंगत आधार पर)* के अनुसार सामान्य मूल्य सीधे परिकलित नहीं कर सकते हैं।

घ. प्राधिकारी को पहले निम्न के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रयास करना चाहिए; (i) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, (ii) ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत। यदि केवल इन दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं हो तभी उसे किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

ड. शेनयांग मत्सुशिता, 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी इस विचार का समर्थन करता है कि प्राधिकारी को केवल तभी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पहली दो पद्धतियां समाप्त हो गई हों।

च. याचिका में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्राधिकारी ने पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन क्यों नहीं किया है।

छ. सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है और इसलिए प्रतिवादियों के लिए इस संबंध में, किसी दावे का उत्तर देना संभव नहीं है।

ज. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त पाटन मार्जिन पर प्राधिकारी से किसी सत्यापन के बिना भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

छ.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध</u>

60. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमता और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एनएमई माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I, नियम 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 8 प्राधिकारी के लिए यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ता है कि चीन एक एनएमई है, यदि निर्यातक अन्यथा सिद्ध न कर दें। इसलिए चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल की धारा 15(क)(ii) के समाप्त होने पर विचार किए बिना प्राधिकारी पैरा 8 द्वारा यह मानने के लिए बाध्य हैं कि चीन एक एनएमई है।

ग. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा धारा 15(क)(i) की समाप्ति के बाद स्वयं नहीं मिल जाता है, बल्कि इसके लिए चीन को एक्सेसन प्रोटोकोल की धारा 15 के अन्य प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

घ. निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का काफी हस्ताक्षेप है जो चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देना आवश्यक बना देता है।

ड. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित प्रत्येक मापदंड के संबंध में जांच को पास न कर लें।

च. चीन जन. गण. से उत्पादकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को हाल की अनेक जांचों में इसी आधार पर अस्वीकार किया गया था।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न करें कि प्रमुख निविष्टियों की वास्तविक खरीद कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाएं।

ज. यदि चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ हों कि उनके लेंखे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों से संगत है तो बाजार अर्थव्यवस्था आधार अस्वीकार किया जाना चाहिए।

झ. यह सिद्ध करना प्राधिकारी का कार्य नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था के महौल में प्रचालन कर रही हैं। परंतु यह प्रतिवादी चीनी निर्यातकों को सिद्ध करना है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं।

ञ. बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक प्रतिवादी कंपनी और उसका समूह समग्र रूप से यह दावा करें। यदि समूह को बनाने वाली एक या उससे अधिक कंपनियां उत्तर नहीं देती हैं तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे को अस्वीकृत करना चाहिए।

ट. इस प्रकार चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर उसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

छ.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

61. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें प्राधिकारी द्वारा उनसे विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी गई थी। निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. फ़ोशान शुंडे देहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
ख. झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री
ग. चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड
घ. फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
ड. झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड
च. जियानगिन सिटी हेंग फेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड
छ. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सुझोऊ) कं, लिमिटेड
ज. बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड
झ. लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड
ञ. पिंगहु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड
ट. जिआंगसु झिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड
ठ. जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड
ड. झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड

छ.3.1. <u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

<u>बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की जांच</u>

62. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थी जिसमें प्राधिकारी द्वारा उनसे विहित प्रपत्र और ढंग से सूचना देने की सलाह दी गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए संगत प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

63. चाइनीज एसेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैं:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

64. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(i) तथा अनुबंध-I के पैरा 7 पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विनिर्माण, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं। आवेदक ने बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।

65. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है। यह नोट किया जाए कि चूंकि चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य परिकलन नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार करना अपेक्षित है।

66. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने स्वयं के आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जिसका पाठन निम्नानुसार है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से

संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-I के पैरा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, जब ऐसा आधार संभव न हो, केवल तभी प्राधिकारी भारत में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

68. नियमावली के अनुबंध-I पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी किसी तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की तीसरी पद्धति को तब अपना सकते हैं जब उन्होंने पहली पद्धति अर्थात तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य और दूसरी पद्धति अर्थात किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत को समाप्त कर लिया हो। तथापि, यह नोट किया जाता है कि पहली दो पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की कीमत या परिकलित कीमत, अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत संबंधित सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा, भारत (संबद्ध देश को छोड़कर) में अन्य देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों की तुलना में काफी कम (143 एमटी) हैं। उक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी तीसरी पद्धति *अर्थात किसी अन्य तर्कसंगत आधार* के अनुसार सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लेते हैं। परिणामस्वरूप सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I पैरा vii में यथा निर्धारित "भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत" के अनुसार निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में बिक्री सामान्य तथा प्रशासनिक खर्च और लाभ के लिए तर्कसंगत योग करके उसके आधार पर परिकलित किया गया है।

छ.3.2. <u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

i. मेसर्स फोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण., मेसर्स फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण. और मेसर्स हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांग काँग

69. पीओआई के दौरान फोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर ने भारत को अपने असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से डिलीवर्ड (कारखानाद्वार) आधार पर ***आरएमबी बीजक मूल्य पर *** संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा, फोशान वालसिन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. ने भी भारत को दूसरे संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांग काँग के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तु का निर्यात भी किया है, और हालटेक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, हांग काँग ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक / निर्यातक ने केवल ऋण लागत पर समायोजन का दावा किया है क्योंकि वस्तुओं का भारत को डिलीवर्ड (कारखानाद्वार) आधार पर निर्यात किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ii. मेसर्स झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण., मेसर्स फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण. और मेसर्स डिंपल एचके लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) हांग काँग

70. पीओआई के दौरान झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री, चीन जन. गण. (जिसे आगे जिन फोलाई कहा गया है) ने एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के जरिये डिलीवर्ड (कारखानाद्वार) आधार पर भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसमें से फोशान डिंपल इलेक्ट्रिक एप्लायंस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने *** संबद्ध वस्तु का भारत को भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे निर्यात किया है और शेष *** एमटी को दूसरे संबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात डिंपल एचके लिमिटेड, हांग काँग के जरिए भारत में असंबंधित

उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया गया है। उत्पादक / निर्यातक ने केवल ऋण लागत पर समायोजन का दावा किया है क्योंकि वस्तुओं का भारत को डिलीवर्ड (कारखानाद्वार) आधार पर निर्यात किया गया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iii. मेसर्स फ़ोशान शुंडेगओहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक) चीन जन. गण. और मेसर्स झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड (निर्यातक/व्यापारी) चीन जन. गण.

71. पीओआई के दौरान फ़ोशान शुंडेगओहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. (जिसे आगे गोओहुआ कहा गया है) ने एक असंबंधित निर्यातक/व्यापारी अर्थात झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को एक संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसके अलावा, झोंगशान कुसिनर्ट इंटेलिजेंट किचन कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने भारत को *** संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

iv. चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.

72. पीओआई के दौरान चुज़ौ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कं, लिमिटेड, चीन जन. गण. ने केवल असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने एफओबी आधार पर भारत को भी *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समयोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का पीसीएन वार भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

v. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड.

73. स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड (जिसे आगे "स्कॉट ग्लास" कहा गया है) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। स्कॉट ग्लास ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का उत्पादन और सीधे निर्यात किया है। स्कॉट ग्लास विहित निर्यातक प्रश्नावली प्रपत्र में संगत सूचना दी है।

74. स्कॉट ग्लास ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यातों से संबंधित पीसीएन वार सूचना दी है। यह नोट किया गया है कि स्कॉट ग्लास ने भारत में असंबंधित उपभोक्ताओं को एफओबी डिलीवरी शर्तों पर *** एमटी संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात किया है। स्कॉट ग्लास ने अंतरदेशीय परिवहन पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है जिसकी सत्यापन के बाद प्राधिकारी ने अनुमति दी है।

75. प्राधिकारी ने स्कॉट ग्लास द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई भारत को निर्यातों संबंधी पीसीएन वार जानकारी का सत्यापन किया है। स्कॉट ग्लास के लिए निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

vi <u>झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड (वेइयू ग्लासवेयर), झांगजीयागांग वेइयू इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (वेइयू ट्रेडिंग), और वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड</u>

76. वेइयू ग्लासवेयर ने अपने संबंधित व्यापारी वेइयू ट्रेडिंग, चीन और असंबंधित व्यापारी वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड के साथ निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उत्तर से यह नोट किया गया है कि वेइयू ग्लासवेयर द्वारा वेइयू ट्रेडिंग चीन को *** संबद्ध वस्तु बेची गई है। वेइयू ट्रेडिंग, चीन ने इसके बाद असंबंधित व्यापारी वेइकांग (हांगकांग) लिमिटेड के जरिए भारत को इसका निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के संबंध उक्त उत्पादक और व्यापारी द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद उक्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। इसके अलावा संबंधित और असंबंधित व्यापारी दोनों को भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात में घाटा हुआ है। अत: निर्यात कीमत में घाटों का समुचित समायोजन

किया गया है। तदनुसार, वेइयू ग्लासवेयर के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

vii. जियानगिन सिटी हेंगफेंग प्लास्टिक एंड ग्लास कंपनी लिमिटेड (हेंगफेंग)

77. हेंगफेंग ने यह सूचित करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है कि कंपनी ने स्वयं द्वारा उत्पादित *** एमटी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे निर्यात किया है। अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और अन्य संबंधी व्यय और ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया गया था। तथापि, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हेंगफेंग ने केवल पीओआई के दौरान वाशिंग मशीन में प्रयुक्त केवल कर्वड रंगीन टफएंड ग्लास का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने इस प्रकार टफएंड ग्लास को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा है क्योंकि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने उसका उत्पादन नहीं किया है।

78. तदनुसार, प्राधिकारी ने हेंगफेंग के लिए अलग पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं करने का निर्णय लिया है।

viii. मैसर्स जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) जो संबंधित निर्यातक मैसर्स झांगजियागैंग कियानचेन एप्लायंस कंपनी लिमिटेड के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जियांगयिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड (सुइफेंग) ने पीओआई के दौरान संबंधित निर्यातक मैसर्स झांगजियागैंग कियानचेन एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (कियानचेन) के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पूर्वोक्त दोनों उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का अपना अलग-अलग विस्तृत उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण हेतु सूचना प्रदान की है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनियों ने अपने निर्यातों के *** अमरीकी डॉलर के कुल एफओबी मूल्य वाली कुल *** एमटी मात्रा का भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समयोजन का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार सुइफेंगिस के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ix. <u>मैसर्स झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) जो असंबंधित निर्यातक मैसर्स झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ग्वांगडोंग के जरिए संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है।</u>

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे मेयी कहा गया है) ने ग्वांगडोंग के मैसर्स झोंगशान फूडस्टफ्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ग्वांगडोंग (जिसे आगे झोंगशान फूडस्टफ्स कहा गया है) के जरिए पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पूर्वोक्त दोनों उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का अपना अलग-अलग विस्तृत उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण हेतु सूचना प्रदान की है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनियों ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समयोजन का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार मेयी के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

x. <u>मैसर्स जिआंगसु शिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड</u>

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक मैसर्स जिआंगसु जिउकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे जिउकियांग कहा गया है) ने पीओआई के दौरान भारत को सीधे संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और निर्यातक का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया है। पीओआई के दौरान पूर्वोक्त कंपनी ने भारत को एफओबी मूल्य आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई खर्च तथा ऋण लागत के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की आवश्यक डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार शिउकियांग के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

xi. <u>बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड, लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और पिंगहु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड</u>

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड (बेनक्सी) और लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (लियानयुंगांग)चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के संबंधित उत्पादक हैं और दोनों उत्पादकों ने संबंधित निर्यातक पिंगहुचेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड (पिंगु) के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। पीओआई के दौरान बेनक्सी ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार बेनक्सी के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

83. पीओआई के दौरान लिआंगयुंग ने भारत को एफओबी आधार पर संबद्ध वस्तु की *** एमटी कुल मात्रा का निर्यात किया है। अंतरदेशीय परिवहन के लिए उनके द्वारा समायोजनों का दावा किया गया है। उक्त समायोजनों की डेस्क सत्यापन के बाद अनुमति दी गई है। तदनुसार लिआंगयुंग के लिए निर्धारित भारित औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

84. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादक बेन्क्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कं, लिमिटेड और लियानयुंगैंग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कं, लिमिटेड और निर्यातक पिंगु चेंगक्सिन ग्लास कं, लिमिटेड एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। समान समूह के संबंधित निर्यातक उत्पादकों या निर्यातक उत्पादकों को पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए एक एकल कंपनी मानने की प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया रही है और इसलिए उनके लिए एक एकल पाटन मार्जिन निर्धारित किया जाता है। ऐसा विशेष

रूप से इसलिए है कि अलग-अलग पाटन मार्जिन परिकलित करने से पाटनरोधी उपायों के प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है, इस प्रकार वे सबसे कम अलग पाटन मार्जिन वाली कंपनी के जरिए भारत को उनके निर्यात भेज कर संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सक्षम बनाकर उपायों को निष्प्रभावी कर सकते हैं।

85. उक्त के अनुसार समान समूह के संबंधित निर्यातक उत्पादकों को एक एकल कंपनी माना जाता है और उन्हें एकल पाटन मार्जिन प्रदान किया जाता है जिसे संबंधित समूहों में सहयोगी उत्पादकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया जाता है।

चीन जन. गण. से असहयोग उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

86. ऐसे सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

छ.3.3. <u>पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

87. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	मुद्रा/इकाई	परिकलित सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन (रेंज)
1	फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	ऋणात्मक
3	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	20-30

4	फ़ोशान शुंडेगौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	10-20
5	झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	30-40
6	स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सुझोऊ) कं, लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	ऋणात्मक
7	बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	*60-70
8	लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	*60-70
9	जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	ऋणात्मक
10	जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	0-10
11	झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	0-10
12	अन्य	यूएस डॉलर/एमटी	***	***	***	***	60-70

* भारित औसत, पाटन मार्जिन, पाटन मार्जिन प्रतिशत और पाटन मार्जिन रेंज

ज. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच</u>

ज.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

88. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, उत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या आदि जैसे सभी मात्रा संबंधी मापदंडों में क्षति जांच अवधि के लिए भारी वृद्धि हुई है।

ख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एडीए के अनुच्छेद 3.2 और नियमावली के नियम अनुबंध-II पैरा (ii) के अंतर्गत कोई भारी कीमत प्रभाव सिद्ध नहीं करते हैं।

ग. आवेदन के भाग के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई ब्यौरा/साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे हितबद्ध पक्षकार समग्र या सापेक्ष रूप से आयातों में वृद्धि का आकलन कर सकें।

घ. घरेलू बिक्री कीमत में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। चीन से सीआईएफ कीमत जिसे केवल सूचीबद्ध संख्या में दिया गया है, के आधार पर चीन की आयात कीमत में दूसरी ओर क्षति जांच अवधि के दौरान 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। तथापि, जब घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट की वस्तुनिष्ठ ढंग से जांच की गई है तो यह देखा जा सकता है कि आयात कीमतों और घरेलू कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं।

ङ. घरेलू उद्योग के आरोप के अनुसार लागत में मामूली गिरावट के संबंध में यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की प्रति एमटी लागत में क्षति जांच अवधि के दौरान 36 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है जिसे मामूली गिरावट मानने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह अनुरोध है कि प्रति एमटी लागत में पीओआई में 36 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत में आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में पीओआई में केवल 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि घरेलू बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की लागत के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है क्योंकि घरेलू बिक्री कीमत में लागत में गिरावट का अनुसरण किया है।

च. घरेलू बिक्री कीमत और अन्य देशों से आयात कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध है।

छ. कीमत कटौती को तब तक क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है जब तक घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और वर्तमान जांच में ऐसा नहीं हुआ है।

ज. वर्तमान जांच में परिकलित कीमत कटौती घरेलू उद्योग द्वारा आयात आंकड़ों के मनमाने प्रयोग के आधार पर परिकलित की गई है। अत: कीमत कटौती के आधार पर वर्तमान जांच में किसी क्षति का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने "ब्रिज स्टोन" के मामले के साथ वर्तमान मामले की समानता बनाने की मांग की है।

ञ. घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और क्षति जांच अवधि में यह समान बनी रही है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में क्षति जांच अवधि में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पीयूसी का उत्पादन आधार वर्ष 2018-19 में 100 से बढ़कर पीओआई में 328 हो गया है। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के उत्पादन में 228 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है। इसके अलावा, पीओआई में घरेलू उद्योग के पीयूसी के उत्पादन में वृद्धि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष 2020-21 की तुलना में 45 प्रतिशत आधार बिंदुओं तक रही है और उत्पादन में यह वृद्धि घरेलू कीमतों में 15 प्रतिशत मूल बिंदुओं की भारी वृद्धि के साथ-साथ हुई है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग में कोई क्षति नहीं हुई है।

ट. आवेदकों ने आवेदन में यह माना है कि घरेलू उद्योग के बिक्री मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कोई क्षति नहीं हुई है।

ठ. आवेदकों ने स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें प्रदत्त मजदूरी में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि मांग में वृद्धि के बावजूद औसत भंडार में वृद्धि हुई है। यह अनुरोध किया गया है कि वर्तमान जांच में उत्पाद की प्रकृति को

देखते हुए क्षति जांच के लिए यह कारक संगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने आवेदन में स्वयं बताया है कि कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त ग्लास को टफनिंग की प्रक्रिया से पहले उपभोक्ता द्वारा जरूरी आकार के अनुसार कट, ड्रिल और ग्राइंड किया जाता है। ऐसा इस कारण से है कि टफनिंग की प्रक्रिया के बाद ग्लास को काटा, ड्रिल या ग्राइंड नहीं किया जा सकता है। अत: घरेलू उद्योग के पास मालसूची, यदि कोई हो, तो उपभोक्ता विशिष्ट होगी और भेजने के लिए प्रतीक्षारत होगी न कि इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग पीयूसी को बेचने में सक्षम नहीं है।

ढ. घरेलू उद्योग को घाटों में क्षति जांच अवधि में 73 प्रतिशत बिंदुओं का जबरदस्त सुधार हुआ है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग के आरओसीई और नकद लाभ में भी यही रूझान रहा है और सुधार हुआ है।

ण. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 253 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में ऐसी वृद्धि किसी भी तरह से काफी अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से दोनों में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक रही है।

त. अन्य प्रमुख घरेलू उत्पादकों को शामिल नहीं करने का एक मात्र संभावित कारण प्राधिकारी को गलत और गैर प्रतिनिधि आंकड़े देकर गुमराह करना है। बाजार आसूचना से इन उत्पादकों को आवेदकों द्वारा काफी लाभप्रद पाया गया है। इसलिए क्षति मार्जिन की गणना में उन्हें शामिल करने से न केवल अधिक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी, बल्कि वह समूचे उद्योग का अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।

थ. घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण उत्पादों के अपेक्षित विनिर्देशनों को पूरा नहीं करना और व्हर्लपूल जैसे प्रमुख प्रयोक्ताओं के विनिर्देशनों के अनुसार पीयूसी के विनिर्माण में असमर्थता है। घरेलू उद्योग के उत्पाद में काफी अधिक अस्वीकृति होती है क्योंकि वे प्रयोक्ताओं के मापदंडों या विनिर्देशनों का पालन नहीं करते हैं। खराब फिनिश, असमान किनारे, खराब गुणवत्ता की पॉलिश और गलत आयाम घरेलू उत्पादकों के उत्पाद की स्थायी विशेषता है।

द. आवश्यक कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण भी घरेलू उत्पादकों की ओर से कम क्षमता उपयोग होता है जिससे प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने में उनकी अक्षमता से होने वाली क्षति और अधिक बढ़ जाती है।

ध. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए "सर्वोत्तम उपयोग" सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि प्रति इकाई उच्च स्थिर लागत के प्रभाव को सामान्य बनाया जा सके।

ज.2. <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

89. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. रिकार्ड में आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।

ख. संबद्ध देश से पीयूसी की आयातों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि समग्र और सापेक्ष दोनों तरह से हुई है।

ग. आयातों की पहुंच मूल्य के कारण देश में संबद्ध वस्तु की कीमत में कटौती होना जारी है।

घ. चीन से आयात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है जिससे कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का पता चलता है। कम कीमत पर बिक्री सकरात्मक है और पूरी क्षति जांच अवधि में काफी अधिक रही है।

ड. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर आयातों का काफी अधिक ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग के पास देश में पीयूसी की पर्याप्त मांग होने के बावजूद काफी अधिक अप्रयुक्त क्षमता है।

च. घरेलू उद्योग की बिक्री में देश में संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है। यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि यद्यपि मांग में आयातों के हिस्से में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परंतु घरेलू उत्पादकों के मांग में हिस्से में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है।

छ. आयातों द्वारा कीमत पर दबाव से यह सुनिश्चित हुआ है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका है। इस वजह से भारी घाटे और ऋणात्मक आरओसीई रही है।

ज. कम कीमत के आयातों में घरेलू उद्योग को विचित्र स्थिति में ला दिया है जहां पर जब भी घरेलू उद्योग अच्छा बाजार हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करता है तब उसे घाटे में अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। यह समस्या पीओआई में बिल्कुल स्पष्ट है। जब घरेलू उद्योग अपनी बिक्री बढाने में सक्षम रहा है, परंतु कम बिक्री कीमत के कारण घाटे में बना रहा है।

झ. घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में किसी सुधार का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। डब्ल्यूटीओ के स्थापित न्यायशास्त्र, प्राधिकारी की पूर्व प्रक्रिया और भारत में न्यायालयों के पूर्व उदाहरण के अनुसार क्षति संबंधी मापदंडों की जांच चुनिंदा रूप से नहीं की जा सकती है जैसा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताया गया है।

ञ. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन से इतर कारकों से क्षति उठानी पड़ी है। केवल निराधार विवरण दिये गये हैं। अत: हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की अनदेखी करनी चाहिए।

ट. यद्यपि आयातों में वृद्धि हुई है, परंतु आयात कीमतों में सुधार हुआ है। इसके कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमत को बढाने और घाटे कम करने में सक्षम रहा था। तथापि, आयात कीमतें घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों से कम बनी रही हैं। घरेलू उद्योग आयात कीमतों से मुकाबला करने में असमर्थ हैं जिसके परिणामस्वरूप आर्डर और बाजार हिस्से में नुकसान हुआ है। इस बात से पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध साफ तौर पर सिद्ध होता है।

ठ. कोविड के प्रकोप के बावजूद चीन के निर्यातक भारतीय बाजार में प्रभुत्व की स्थिति बनाये हुये हैं और उनके पास 60 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सा है। इसके अलावा,

भारतीय बाजार में उत्पादन लागत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम पर पाटन किया जाना जारी है।

ड. घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंड देश में पीयूसी की मांग में भारी वृद्धि के बावजूद या तो घटे हैं या स्थिर बने रहे हैं। मांग में ऐसी वृद्धि के बावजूद पीयूसी के संदर्भ में घरेलू उद्योगों की क्षमतायें पूरी क्षति अवधि में अप्रयुक्त रही हैं। जबकि चीन से आयात बढ़ते रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ढ. यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू बाजार के मांग में भारी वृद्धि है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी के साथ मांग में संबद्ध देश से बाजार हिस्से में आधार वर्ष से पीओआई तक भारी वृद्धि हुई है।

ज.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

90. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकार द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विधिवत रूप से विचार करने के बाद नियमावली के अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। जहां प्राधिकारी द्वारा किये गये क्षति विश्लेषण से वास्तव में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों का समाधान किया गया है।

91. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में किसी क्षति जांच में " ....*पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "*... घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली,

पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

92. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों में भारी वृद्धि हुई है। देश में उत्पादन और खपत/मांग की दृष्टि से आयातों की मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान काफी अधिक वृद्धि प्रदर्शित होती है।

93. पाटित आयातों के कीमत प्रभाव से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात कीमतों में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। दूसरी ओर घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति और बिक्री लागत में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन से आयात कीमत में वृद्धि हुई है, परंतु वह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से कम बनी हुई है। चीन से आयातों की कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को घटाने पर मजबूर हुआ है। संबद्ध देश से आयातों द्वारा पड़ने वाले कीमत दबाव की मात्रा इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में भारी गिरावट और आयात कीमत में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अब भी अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आयात कीमतें अब भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति से कम है।

94. इस अनुरोध के संबंध में कि अन्य देशों से आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच प्रत्यक्ष सह संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात मामूली मात्रा में हुए हैं। ऐसी मामूली मात्राएं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती हैं।

95. इस तर्क के संबंध में कि कीमत कटौती में *ब्रिजस्टोन* मामले के अनुसार क्षति का कारक नहीं माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कीमत कटौती की जांच केवल पाटित आयातों से कीमत प्रभाव से निर्धारण के लिए की गई है। अनुबंध-II द्वारा यथा अधिदेशित क्षति का

विश्लेषण पैरा (iv) के अंतर्गत सूचीबद्ध अनिवार्य कारकों के संदर्भ में इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।

96. इस अनुरोध के संबंध में कि कीमत कटौती को आवेदक द्वारा आयात आंकड़ों के मनमाने/गलत प्रयोग के आधार पर परिकलित किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में कीमत कटौती प्राधिकारी द्वारा डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है।

97. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, रोजगार और मजदूरी आदि जैसे मापदंडों में काफी सुधार हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे मापदंडों में सुधार अधिकांशत: 2020-21 में टीपीआरएस एंटरप्राइजेज पीयूसी का उत्पादन शुरू करने के कारण हुआ है।

98. घरेलू उद्योग की औसत स्टॉक/मालसूची से संबंधित दलील के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु आर्डर पर निर्मित उत्पाद है इसलिए मालसूची में परिवर्तन वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्षति का संगत कारक नहीं है।

99. प्राधिकारी इस तथ्य को नोट करते हैं कि यद्यपि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की मांग में काफी वृद्धि हुई है, परंतु घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान मांग में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है।

100. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि जब भी घरेलू उद्योग अच्छा बाजार हिस्सा लेने का प्रयास करता है तो उसे अपने उत्पाद घाटे में बेचने पड़ते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में साक्ष्य दर्शाते हैं कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में लाभप्रद स्तर तक वृद्धि करने से प्रतिबंधित / रोका जा रहा है।

101. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात कीमत की बराबरी करने के लिए घरेलू बिक्री कीमत में भारी गिरावट के बावजूद घरेलू उत्पादक अब भी आयात कीमतों

की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण मांग में संबद्ध देश से आयातों के हिस्से में पीओआई में काफी वृद्धि की प्रवृत्ति निरंतर देखी गई है।

I. पाटित आयातों की मात्रा और मांग/खपत

102. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से लिये गये सौदावार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा, पाटित आयातों का हिस्सा और क्षति जांच अवधि के दौरान मांग निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	307	357
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	78	63
कुल घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	88
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	15619	15358	20390	30176
गैर पाटित आयात	एमटी	0	0	0	2607
चीन जन. गण. से पाटित आयात	एमटी	15619	15358	20390	27569
अन्य देशों से आयात	एमटी	480	546	1535	143
कुल आयात	एमटी	16099	15904	21926	30319
आयात में चीन जन. गण. की % हिस्सेदारी	%	97%	97%	93%	100%
कुल आयात में चीन जन. गण. से पाटित आयातों का % हिस्सा	%	97%	97%	93%	91%
कुल आयात में अन्य देशों का % हिस्सा	%	3%	3%	7%	0%

कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	118	141

103. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान 2019-20 और 2018-19 में मामूली गिरावट को छोड़कर वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में भी क्षति जांच अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से पाटित आयात आधार वर्ष में 15619 एमटी से लगभग दोगुने होकर पीओआई में 27569 हो गए हैं। इसी के साथ आयातों में अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई है। इसके अलावा, मांग में संबद्ध देश से आयात के हिस्से में भी आधार वर्ष में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि है ।

II. उत्पादन और खपत की दृष्टि से संबद्ध देश से आयात

104. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि का समग्र रूप से तथा सापेक्ष रूप से प्रत्येक वर्ष घरेलू उत्पादन के साथ आयातों की तुलना करके विश्लेषण किया है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
संबद्ध देश से आयात	एमटी	15,619	15,358	20,390	30,176
संबद्ध देश से पाटित आयात	एमटी	15,619	15,358	20,390	27,339
घरेलू उत्पादन (आवेदक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	313	371
घरेलू उत्पादन (समर्थक - नंदा ग्लास)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	113	102
घरेलू उत्पादन (समर्थक - श्री अष्टविनायक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	86	71
घरेलू उत्पादन (आवेदक + समर्थक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	135	133

घरेलू उत्पादन (अन्य उत्पादक)	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	74	58	41
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	88
उत्पादन (कुल भारतीय उत्पादन) की तुलना में संबद्ध देश का प्रतिशत हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	135	220
संबद्ध देश से पाटित आयात का प्रतिशत (कुल भारतीय उत्पादन)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	135	202

105. यह देखा गया है कि:

क. चीन जन. गण. से पाटित आयातों के हिस्से में क्षति जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। जबकि अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में गिरावट आई है।

ग. उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा में आधार वर्ष में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

III. <u>पाटित आयातों के कीमत प्रभाव</u>

106. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का

प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती। इस संबंध में संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत और संबद्ध वस्तु के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना की गई है।

क. कीमत कटौती

107. कीमत कटौती निर्धारित करने के लिए उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत, सभी छूट और करों के निवल, व्यापार के समान स्तर पर तुलना की गई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
आयात की पहुंच कीमत	रू./एमटी	65425	63223	66257	79093
पाटित आयात की पहुंच कीमत	रू./एमटी	65425	63223	66257	73452
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	60	74
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	80-90	20-30	0-10	10-20
कीमत कटौती (पाटित आयात)	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती (पाटित आयात)	%	***	***	***	***
कीमत कटौती (पाटित आयात)	रेंज	80-90	20-30	0-10	10-20

108. यह नोट किया गया है कि कीमत कटौती संपूर्ण जांच अवधि सकारात्मक रही है। कीमत कटौती पीओआई में वृद्धि के साथ 2020-21 घटती रही है।

ख. <u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

109. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
बिक्री की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	66	55
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	60	74
संबद्ध देश से पहुंच मूल्य	रू./एमटी	65425	63223	66257	79093
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	101	121
संबद्ध देश से पाटित आयातों का पहुंच मूल्य	रू./एमटी	65425	63223	66257	73452
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	101	112

110. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम है। आयातों का पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत भी उत्पादन लागत से कम रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के कारण घरेलू उद्योग लाभप्रदता स्तर तक अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं पा रहा है। इस प्रकार आयातों के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण दोनों हुआ है।

IV. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

111. नियमावली के अनुबंध-II में यह व्यवस्था है कि घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिसमें बिक्री, लाभ,

उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. भारतीय उत्पादकों द्वारा रखे गए बाजार हिस्से में परिवर्तन

112. घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
संबद्ध देश से आयात	एमटी	15619	15358	20390	30176
अन्य देशों से आयात	एमटी	480	546	1535	143
कुल आयात	एमटी	16099	15904	21926	30319
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	307	357
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	78	63
कुल भारतीय घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	97	88
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	118	141
बाजार में हिस्सा					
संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	111	137
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	272	21
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	116	134
कुल घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	82	62

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पीओआई में *** प्रतिशत से पीओआई में *** प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 51 प्रतिशत से पीओआई में 70 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ख. आउटपुट और क्षमता उपयोग

114. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	76	112
मात्र पीयूसी उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	313	371
क्षमता उपयोग (कुल उत्पादन)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	75	112

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान समान बनी रही है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग में वर्ष 2020-21 को छोड़कर पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान निरंतर सुधार हुआ है।

ग. मालसूची

116. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	467	1219

117. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि संबद्ध वस्तु आर्डर पर निर्मित उत्पाद है इसलिए मालसूची में परिवर्तन वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में क्षति का संगत कारक नहीं है।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

118. प्राधिकारी ने रोजगार, प्रति कर्मचारी मजदूरी और प्रति कर्मचारी उत्पादकता से संबंधित सूचना की निम्नानुसार जांच की है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	313	371
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	143	142
उत्पादन/कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	250	300
मजदूरी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	173	223
मजदूरी/कर्मचारी (रू.)	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	158	120	157

119. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार और वृद्धि हुई है। क्षति जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी मजदूरी में भी सुधार हुआ है।

ड. बिक्री मात्रा और मूल्य

120. प्राधिकारी घरेलू उद्योग की बिक्री की प्राधिकारी ने निम्नानुसार जांच की है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	307	357
बिक्री मात्रा	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	185	263
बिक्री कीमत/यूनिट	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	60	74

121. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में क्षति जांच अवधि के दौरान निरंतर सुधार हुआ है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

च. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

122. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)

बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	60	74
बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	66	55
लाभ और हानि	रू. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-185	-248	-46
लाभ और हानि	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-151	-81	-13
नकद लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-158	-78	-3
नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-188	-201	-20

123. उपरोक्त तालिका से प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

क. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उत्पादन लागत से कम रही है जिससे घाटा हुआ है।

ख. घरेलू उद्योग का घाटे में रहने जारी है। यद्यपि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटे में कमी आई है।

ग. घरेलू उद्योग की आरओसीई संपूर्ण जांच क्षति अवधि में ऋणात्मक रही थी।

छ. वृद्धि

124. घरेलू उद्योग के निष्पादन में मात्रा संबंधी कुछ मापदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभप्रदता और आरओसीई के संबंध में में सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में काफी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और आरओसीई पूर्ववर्ती वर्ष में सुधार के बावजूद नकारात्मक बनी हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कुछ मापदंडों में आंकड़ों में सुधार टीपीआरएस एंटरप्राइजेज द्वारा 2020-21 में पीयूसी का उत्पादन शुरू करने के कारण हुआ है।

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22 (पीओआई)
उत्पादन	22%	156%	19%
घरेलू बिक्री	22%	152%	16%
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	(51)%	47%	84%
मालसूची	33%	250%	161%
बाज़ार हिस्सा (आवेदक)	27%	106%	(3)%
लाभ /(हानि)	(85)%	(34)%	82%
प्रति यूनिट पीबीआईटी	(55)%	49%	87%
आरओआई %	(88)%	(7)%	90%

ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

125. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री करते समय अपनी उत्पादन लागत की वसूली करने में भी असमर्थ रहा है। आयात कीमतें उत्पादन लागत से काफी कम हैं।

झ. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

126. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा काफी अधिक थी और ऐसे आयात उन कीमतों पर थे जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से काफी कम थीं।

ञ. पाटन की मात्रा

127. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से पाटन मार्जिन काफी अधिक है।

झ. <u>क्षति संबंधी निष्कर्ष</u>

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा में पीओआई के दौरान समग्र रूप से वृद्धि हुई है। देश में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी आयातों की मात्रा में पीओआई में भारी वृद्धि के साथ निरंतर वृद्धि हुई है। आयात कीमतों में पीओआई में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, वह निरंतर घरेलू उद्योग की लागत से कम रही है। संबद्ध आयातों से डाले गए कीमत दबाव के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, आरओसीई और अन्य मापदंड बूरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा उठाना पड़ता है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण भारी वास्तविक क्षति हुई है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन के मात्रा</u>

129. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित, तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है।

संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

130. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध जांच में सहयोगी उत्पादकों बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड और लियानयुंगंग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और निर्यातक पिंगहु चेंगक्सिन ग्लास कंपनी लिमिटेड एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह संगत परिपाटी रही है कि समान ग्रुप के संबंधित निर्यातक उत्पादकों या निर्यातक उत्पादकों को क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु एक एकल कंपनी माना जाए और इस प्रकार उनके लिए एक एकल क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाये। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है कि अलग-अलग क्षति मार्जिन की गणना से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को बढ़ावा मिल सकता है और इस प्रकार सबसे कम अलग क्षति मार्जिन

वाली कंपनी के जरिए भारत को अपने निर्यात भेज कर संबंधित निर्यातक उत्पादक इसका फायदा उठाकर उपाय को निष्प्रभावी कर सकते हैं।

131. उपर्युक्त के अनुसार समान ग्रुप से संबंधित निर्यातक उत्पादकों को एक एकल कंपनी माना गया है और एक एकल क्षति मार्जिन दिया गया है जिसे संबंधित समूहों में सहयोगी उत्पादकों के क्षति मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया गया है।

132. इस प्रकार ज्ञात किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	मुद्रा/इकाई	क्षतिरहित कीमत	पहुंच मूल्य	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
1	फ़ोशान शुंडेदेहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	झोंगशान हुआंगपु जिनफुलाई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
3	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	10-20
4	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
5	झांगजीगांग वीयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	0-10
6	स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूज़ौ) कं, लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक

7	बेनक्सी चेंगक्सिन चेंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	10-20
8	लियानयुंगांग चेंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	10-20
9	जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
10	जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
11	झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	ऋणात्मक
12	अन्य	यूएस डॉलर/एम टी	***	***	***	***	20-30

*भारित औसत, क्षति मार्जिन, क्षति मार्जिन प्रतिशत और क्षति मार्जिन रेंज

ट. <u>कारणात्मक संबंध की जांच और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

133. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाये। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गये आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच

की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से आयात काफी कम है और संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान काफी घट गए हैं।

ख. मांग में संकुचन

135. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में संपूर्ण जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

136. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथायें और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

137. संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

ड. निर्यात निष्पादन

138. प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

च. उत्पादकता

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

छ. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

140. घरेलू उद्योग के निष्पादन मापदंडों पर इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया विचार केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन पर आधारित है।

141. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को इन कारकों की वजह से क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में समान अवधि में गिरावट आई है।

ग. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, कीमत कटौती की वजह से बाजार में उत्पाद की कीमत पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

घ. पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल कीमत प्रभावों ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय को बुरी तरह प्रभावित किया है।

142. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ठ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

143. प्राधिकारी ने 27 जून, 2023 को प्रकटन विवरण जारी किया था जिसमें जांच में विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन किया गया और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई गईं। प्रकटन प्रश्चात टिप्पणियों में उठाये गये अधिकांश मुद्दों को पहले ही उठाया गया था और उनका उचित ढंग से समाधान किया गया था। संगत समझे गये अतिरिक्त अनुरोधों की नीचे जांच की गई है।

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

144. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. प्राधिकारी ने नोट किया है कि वीयू ग्रुप द्वारा समायोजन के रूप में केवल अंतरदेशीय परिवहन का दावा किया गया है। तथापि, निर्यातक ने अंतरदेशीय परिवहन (वीयू ग्लासवेयर), पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, ऋण लागत और बैंक प्रभारों (वीयू ट्रेडिंग) और बैंक प्रभार तथा ऋण लागत (वेइकांग) (हांगकांग) के लिए समायोजन का दावा किया है। उन्होंने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में पैराग्राफ में बदलाव कराने का अनुरोध किया है।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उनकी याचिका में प्रस्तुत आंकड़े प्रकटन विवरण में क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा बताये गये आंकड़ों से अलग हैं। उन्होंने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में आंकड़ों में संशोधन के लिए कारण स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

ग. प्राधिकारी ने यह नहीं बताया है कि संबद्ध जांच में "घरेलू उद्योग" के पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है। परंतु इसके बजाय "घरेलू उत्पादकों" का उल्लेख किया है। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि क्या संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग के पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है या ऐसे कुछ घरेलू उत्पादक है जो संबद्ध जांच का हिस्सा नहीं हैं परंतु उनके पास रेफ्रिजरेटर के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास के उत्पादन की क्षमता है।

घ. प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को बाहर रखा है कि आवेदक वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड कलर्ड ग्लास हेतु टफनिंग की प्रक्रिया नहीं करता है। वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड कलर्ड ग्लास और वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड प्लेन ग्लास दोनों के टफनिंग की प्रक्रिया समान है। अत: यदि वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाता है तो प्राधिकारी को वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड प्लेन ग्लास को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

ड. प्राधिकारी ने इस आधार पर पीयूसी में कतिपय उत्पादों को शामिल किया है कि घरेलू उद्योग के पास उनके विनिर्माण की क्षमता है। यह अनुरोध किया जाता है कि केवल घरेलू उद्योग की उत्पादन करने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। डीजीटीआर द्वारा जारी प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार केवल वे उत्पाद जिन्हें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में आपूर्ति करता है, पीयूसी में शामिल किये जा सकते हैं।

च. हेंगफेंग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैराग्राफ 76 में *"हेंगफेंग ने केवल वाशिंग मशीन में प्रयुक्त कवर्ड कलर्ड टफएंड ग्लास का निर्यात किया है"* के बजाय अन्जाने में यह बताया है कि *"हेंगफेंग ने रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त केवल कवर्ड कलर्ड टफएंड ग्लास का निर्यात किया है"* का उल्लेख किया है। उन्होंने प्राधिकारी से इसमें सुधार करने का अनुरोध किया है।

छ. सैमसंग इंडिया ने बताया है कि टफएंड ग्लास के घरेलू उत्पादकों के पास उनकी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास से किये गये पत्राचार के आधार पर सैमसंग ने बताया है कि उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता फ्रिज के लिए उनकी जरूरत का केवल *** प्रतिशत है। सैमसंग ने यह भी तर्क दिया है कि 3.2 एमएम से 3.5 एमएम की मोटाई की संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की घरेलू उद्योग की केवल क्षमता पीयूसी में उक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यूरो डीप ग्रे टिंटेड टफएंड ग्लास को बाहर रखने के अनुरोध को दोहराया है।

ज. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थिति का निर्धारण मूल रूप से गलत है क्योंकि वर्तमान जांच को पीयूसी की गलत परिभाषा के आधार पर जारी रखा गया है।

झ. याचिकाकर्ता के सभी आर्थिक मापदंड वृद्धि के रास्ते पर हैं या मजबूत स्थिति दर्शाते हैं और ऐसे रूझानों को पाटन या क्षति की स्थिति नहीं बताया जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

145. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. प्रकटन विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में 90 प्रतिशत से अधिक आयात पाटित कीमतों पर हुये हैं। कुछ निर्यातकों को पाटन नहीं करता हुआ पाया गया है या उनका क्षति मार्जिन ऋणात्मक रहा है। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्रकटन विवरण में उक्त टिप्पणी बाजार वास्तविकताओं और घरेलू उद्योग की जानकारी के अनुसार नहीं है।

ख. चीन के अधिकांश निर्यातक संबद्ध वस्तु को काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं जिससे घरेलू उत्पादकों को बाजार में स्वयं को बनाये रखना असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को अशंका है कि ऐसे निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर देते समय अपनी कीमतों में कृत्रिम रूप से वृद्धि की है।

ग. प्राधिकारी को संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा सूचित निर्यात मात्रा और मूल्य के साथ डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य का मिलान करना चाहिए। निर्यातकों के उत्तर केवल तभी स्वीकार किये जाएं यदि वे डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य से मेल खाते हों और ऐसे निर्यातकों को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए लागू सभी शर्तों को पूरा करते हों।

घ. यह अनुरोध किया गया है कि "ग्रुव्ड टफएंड ग्लास" को भारत में अनेक उत्पादकों द्वारा विनिर्मित किया जाता है। ऐसे उत्पाद को जांच से बाहर करना आवश्यक नहीं है क्योंकि ग्रुव्ड टफएंड ग्लास के निर्माण में किसी विशिष्ट प्रक्रिया/मशीनरी की आवश्यकता नहीं है और टफएंड ग्लास का उत्पादन करने वाला कोई उत्पादक मामूली

प्रक्रिया और लागत जोड़कर ऐसे प्रकार के टफएंड ग्लास का आसानी से उत्पादन कर सकता है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अधिकांश अनुरोध दोहराये गये हैं और उन पर यहां पहले ही ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत सीमा तक किये गये और अन्य कहीं ध्यान नहीं दिये गये अनुरोधों की नीचे जांच की गई है:

क. निर्यात कीमत में किये गये समायोजनों के संबंध में वीयू ग्रुप द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी के संबंध में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने वीयू ग्लासवेयर से वीयू ट्रेडिंग को कीमत पर कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के आरंभिक बिंदु के रूप में विचार किया है । अत: वीयू ट्रेडिंग और वेइकांग (हांगकांग) द्वारा किये गये खर्चों को समायोजित नहीं किया गया है। वीयू ग्लासवेयर द्वारा किये गये अंतरदेशीय परिवहन खर्चों को कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए घटाया गया है। वीयू ट्रेडिंग और वेइकांग (हांगकांग) द्वारा उठाये गये घाटों का निर्यात कीमत में समुचित समायोजन किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा याचिका में दिये गये आंकड़ों में और क्षति विश्लेषण से संबंधित प्रकटन विवरण में दिये गये आंकड़ों में अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में दिये गये आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा उनके आवेदन में पहले दायर आंकड़ों के सत्यापन के पश्चात लिये गये हैं।

ग. इस तर्क के संबंध में कि केवल उन उत्पादों को पीयूसी में शामिल किया जा सकता है जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में वाणिज्यिक मात्राओं में विनिर्मित और आपूर्ति किया जाता है, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में पीयूसी एक आर्डर पर निर्मित उत्पाद है। उत्पाद के विभिन्न मापदंड जैसे मोटाई, घुमाव, रंग आदि यह सुनिश्चित करते हैं कि पीयूसी में वास्तव में असंख्य किस्में हैं। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वे किसी उत्पाद प्रकार का विनिर्माण केवल तभी कर सकते हैं यदि भारत में

प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं द्वारा उसकी मांग की जाती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि उनके पास पीयूसी में शामिल उत्पाद किस्मों के उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच भी दर्शाती है कि प्रत्येक उत्पादक पीयूसी के केवल कुछ ग्रेडों/प्रकारों की आपूर्ति कर रहा है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पीयूसी का उत्पादन और बिक्री प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं से प्राप्त आदेशों पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल उन उत्पाद ग्रेडों/प्रकारों को शामिल करना अतर्कसंगत होगा जिन्हें घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्राओं में आपूर्ति किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिसमें पीयूसी के किसी प्रकार/ग्रेड का कोई आदेश घरेलू उद्योग को मिला हो और वे ऐसे प्रकार/ग्रेड की आपूर्ति करने में अक्षम हों।

घ. इस अनुरोध के संबंध में कि वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास को इस तथ्य के आधार पर बाहर रखा गया है कि आवेदक वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड ग्लास की टफनिंग प्रक्रिया नहीं करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड कलर्ड ग्लास को बाहर रखने के कारण के बारे में हितबद्ध पक्षकार की समझ गलत है। वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड कलर्ड टफएंड ग्लास को एलजी इलेक्ट्रानिक्स इंडिया प्रा० लि० के अनुरोध पर प्राधिकारी द्वारा बाहर किया गया है। इसके अलावा, वाशिंग मशीन के लिए कवर्ड प्लेन ग्लास को बाहर रखने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बताया गया था कि वे वाशिंग मशीन के लिए कर्वड कलर्ड टफएंड ग्लास का विनिर्माण नहीं करते हैं और उन्होंने उक्त उत्पाद को बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने कवर्ड प्लेन टफएंड ग्लास के बिक्री के साक्ष्य प्रदान किये थे। इसलिए इसे बाहर रखना आवश्यक नहीं है।

ड. इस तर्क के संबंध में कि 3.2 एमएम से 3.5 एमएम मोटोई वाली संबद्ध वस्तु के उत्पादन की केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं है, प्राधिकारी रिकार्ड में सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वास्तव में पीओआई के दौरान 3.2 एमएम और 3.5 एमएम टफएंड ग्लास का उत्पादन और बिक्री की है। इस प्रकार इसे बाहर रखने की आवश्यकता नहीं है।

च. संबद्ध देश से निर्यातक द्वारा सूचित निर्यात मात्रा और मूल्य की तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य के साथ करने के घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा विश्लेषण प्रकटन विवरण जारी करने से पहले किया गया था।

छ. "ग्रुव्ड टफएंड ग्लास" को शामिल करने के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि आवेदक ने अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा ग्रुव्ड ग्लास के बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। तथापि, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने उसका विनिर्माण या आपूर्ति की है या उसके पास इसके उत्पादक की क्षमता है। अत: प्राधिकारी "ग्रुव्ड टफएंड ग्लास" को विचराधीन उत्पाद में शामिल नहीं करने का निर्णय लेते हैं।

ज. सैमसंग द्वारा दिये गये इस तर्क के संबंध में कि एक आवेदक मेसर्स जीएससी ग्लास के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जो फ्रिज की उनकी जरूरत का केवल *** प्रतिशत है, प्राधिकारी रिकार्ड में आंकड़ों और सूचना से नोट करते हैं कि प्राधिकारी के समक्ष दोनों आवेदकों के पास स्वयं अधिकांश भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों और अन्य भारतीय उत्पादकों के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं पड़ी हुई हैं जो भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। किसी भी तरह पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य किसी भी प्रकार से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके।

ङ. <u>भारतीय उद्योग का हित</u>

ङ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किये गये अनुरोध</u>

147. भारत उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. टफएंड ग्लास पर बीआईएस मानक लागू हो गया है। बीआईएस मानक की शुरूआत के साथ व्हर्लपूल चीन से फ्रिज के दरवाजों के लिए मुद्रित/रंगीन टफएंड ग्लास जैसे टफएंड ग्लास के प्रकारों का आयात नहीं कर सकेगा क्योंकि चीन के उत्पादक को बीआईएस प्रमाणन नहीं मिल पाएगा। इससे भारत में एकाधिकार की स्थिति बन जाएगी जिसमें प्रयोक्ता किसी भी प्रकार के टफएंड ग्लास का आयात करने में असमर्थ होंगे और आपूर्ति के लिए घरेलू उद्योग पर निर्भर होंगे। मांग-आपूर्ति बाधाओं के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पादों के लिए अत्यधिक कीमतें प्रभारित कर सकता है जो भारत में प्रयोक्ताओं के हित में नहीं है।

ख. आवेदक उपकरण उद्योग पीयूसी पर शुल्क लागू होने से सीधे प्रभावित होगा। आवेदक उपकरण उद्योग घरेलू बाजार में पीयूसी की खराब गुणवत्ता के कारण आपूर्ति किये गये पीयूसी के आयातों पर काफी अधिक निर्भर है।

ग. यदि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उपकरणों की लागत में काफी वृद्धि हो जाएगी जिसके कारण उपकरणों के आयात में वृद्धि होगी। इस प्रकार इससे उपकरण उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

घ. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना जनहित और भारत में प्रयोक्ता उद्योग के हित के विरूद्ध होगा।

ड. संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों के पास प्रयोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं नहीं हैं।

ड.2. <u>घरेलू उद्योग के द्वारा किये गये अनुरोध</u>

148. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. शुल्क लागू होने से प्रयोक्ता उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उद्योग पर 10 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव केवल *** - *** की रेंज में होगा।

ख. घरेलू उत्पादकों की 70 प्रतिशत से अधिक की क्षमताएं बेकार पड़ी हैं। देश में भारी मांग के बावजूद घरेलू उत्पादकों की अधिकांश क्षमताएं अप्रयुक्त रहती हैं।

ग. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अंतिम उपभोक्ताओं पर एडीडी के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क यदि लागू होता है तो उसे अंतिम प्रयोक्ता पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ड.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यत: पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय के लागू होने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं की उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होंगे।

150. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव 10 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर *** प्रतिशत से *** प्रतिशत की रेंज में पड़ेगा। इस प्रभाव को घरेलू उद्योग द्वारा अपना क्षमता उपयोग बढ़ाने और अपनी लागत तथा संगत बिक्री कीमत कम करके आगे और घटाया जा सकता है। पर्याप्त क्षमताओं के साथ बाजार में पर्याप्त कंपनियों की मौजूदगी यह भी सुनिश्चित करती है कि उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति भारतीय बाजार में जारी रहे अत: यह स्पष्ट है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग का हित किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। अर्थात यह निष्कर्ष है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से व्यापक जनहित को लाभ मिलेगा।

151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। विशेष रूप से जबकि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग की क्षति के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की प्रक्रिया द्वारा मिलने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

152. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तु का संपूर्ण घरेलू उद्योग एमएसएमई के रूप में प्रचालन कर रहा है। उन्होंने बताया है कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों के पास एमएसएमई प्रमाण पत्र हैं उन्होंने दो आवेदकों उत्पादकों का एमएसएमई प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया है।

153. घरेलू विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की गुणवत्ता से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि भारतीय उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योग में सर्वोत्तम संयंत्र और मशीनरी लगाई है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी कोई भी अशंका निराधार है। यह भी नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता उद्योग अनेक मामलों में घरेलू उत्पादों और चीन से आयातित उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । प्राधिकार यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के पास पहले बीआईएस मानक हैं जबकि चीन से अधिकांश निर्यातकों ने अब तक बीआईएस मानक द्वारा विहित मानक का अनुपालन नहीं किया है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में उठाये गये मुद्दे रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों से सिद्ध नहीं होते हैं।

154. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तु पर बीआईएस मानक लागू होने से मांग-आपूर्ति में अंतर या देश में एकाधिकारी स्थिति हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के पर्याप्त संख्या में उत्पादक हैं। संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध

क्षमताएं देश में संबद्ध वस्तु की मांग से अधिक हैं। इस प्रकार देश में एकाधिकारी स्थिति या मांग-आपूर्ति में अंतर के संबंध में जताई गई अशंकाओं में कोई सत्यतता नहीं है।

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास स्वयं लगभग पूरी भारतीय मांग की आपूर्ति करने की क्षमताएं हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पीओआई में कम रहा है। भारतीय उद्योग के पास भारतीय बाजार में उच्चतर हिस्सा रखने की क्षमता है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण भारतीय उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा है और उसके पास घरेलू बाजार में बहुत कम हिस्सा है जो अन्यथा अधिक होता। भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएं यह सुनिश्चित करेंगी कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो भी उत्पाद की कोई कमी न हो।

156. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने से घरेलू उत्पादकों जो सभी एमएसएमई क्षेत्र के हैं, के चीन से क्षतिकारी पाटित आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण द्वारा व्यापक जनहित में लाभ होगा।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

157. दिये गये तर्कों, किये गये अनुरोधों, प्रदत्त सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये तथ्यों जैसे कि ऊपर दर्ज हैं, को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

क. विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, परिणामस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

ग. संबद्ध देश से आयातों में पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान समग्र और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

घ. कीमत कटौती संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान सकारात्मक रही है।

ड. संबद्ध देश से आयात ऐसी कीमत पर हुए हैं जो बिक्री लागत से भी कम हैं। इन आयातों से घरेलू कीमतों पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव भी पड़ा है।

च. घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति जांच अवधि में घाटे में चल रहा है।

छ. यहां तक कि ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) भी जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक रहे हैं। घरेलू उद्योग के नकद लाभ भी ऋणात्मक रहे हैं।

ज. तदनुसार, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य ज्ञात कारक की वजह से नहीं हुई है।

झ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम है जो भारी मार्जिन/ कम कीमत पर बिक्री दर्शाता है।

ञ. रिकार्ड में सूचना दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योग पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ट. इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरूद्ध नहीं होगा।

158. पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटन और परिणामी क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाये जाना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

159. अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन मे से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए लगाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा ।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	70071900, 70072100, 70072900, 70074900, 70079900, 70134900, 70139900, 70199090, 70200019, 70200029, 70200090	घरेलू उपकरणों के लिए टफएंड ग्लास *	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	फ़ोशान शुंडे देहोंग ग्लास इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झोंगशान हुआंगपु जिनफुलई ग्लास क्राफ्ट फैक्ट्री	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	चुझोऊ झिंजियांग ग्लास एप्लायंसेज कंपनी लिमिटेड	144.3	एमटी	यूएस डॉलर
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	फ़ोशान शुंडे गौहुआ ग्लास टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झांगजीयागांग वेइयू ग्लासवेयर कंपनी लिमिटेड	41.8	एमटी	यूएस डॉलर
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	स्कॉट ग्लास टेक्नोलॉजीज (सूझोऊ) कं, लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर

7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बेनक्सी चैंगक्सिन चैंगक्सिन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड	135.3	एमटी	यूएस डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	लियानयुंगांग चैंगक्सिन ग्लास प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	135.3	एमटी	यूएस डॉलर
9.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जिआंगसु शियुकियांग ग्लासवर्क कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
10	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	जियानगिन सुइफेंग ग्लास कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
11	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झोंगशान मेयी एप्लायंस कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएस डॉलर
12	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	उक्त क्र.सं. (1) से (11) में उल्लिखित उत्पादकों को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	243	एमटी	यूएस डॉलर
13	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	243	एमटी	यूएस डॉलर

** "घरेलू उपकरणों के लिए 1.8 एमएम से 8 एमएम के बीच की मोटाई और 0.4 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल वाले टफएंड ग्लास" जिसमें निम्नलिखत शामिल नहीं हैं:*

क) बर्तनों के कांच के ढक्कनों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ख) इलेक्ट्रॉनिक स्विच और स्विच बोर्ड पैनलों में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ग) वाशिंग मशीन के लिए घुमावदार रंगीन ग्लास

घ) डबल ग्लेज्ड यूनिट (डीजीयू) में प्रयुक्त टफएंड ग्लास

ड.) गुंबद के आकार का टफएंड ग्लास

च) ग्रुव्ड टफएंड ग्लास

ण. आगे की प्रक्रिया

160. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी